केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक–416)

चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - xiii
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1 – 5
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	6 – 19
तृतीय	सर्वेक्षण परिणाम	20 – 60

परियुक्त लघु शब्द	*परियुक्त विस्तृत विवरण*
सशिअ	सर्व शिक्षा अभियान
एनपीई	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
पीओए	प्रोग्राम ऑफ एक्शन
डीपीआईपी	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
ईजीएस	शिक्षा गारन्टी योजना
आरजीएसजेपी	राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला
राप्राशिप	राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्
वाकायो	वार्षिक कार्य योजना
सीटीएस	चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम
जिपस	जिला परियोजना समन्वयक

———

उद्‌बोधन

समाज के समग्र विकास में शिक्षा की रचनात्मक भूमिका होने से केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही सभी व्यक्तियों को सहज शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु कृत संकल्पित रही है। शिक्षा के समुचित प्रचार–प्रसार हेतु समय–समय पर अनेक परिष्कृत शैक्षणिक विकासीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है जिनमें सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ''चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम'' अपनी विशिष्ठ पहचान बनाये हुये है। विपुल धनराशि से चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम कार्यक्रम का संचालन वर्ष 2001–02 से चरणवार किया जा रहा है। कार्यक्रम संचालन की उपादेयता एवं सफलता के आकलन परिपेक्ष्य में राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया है।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम अन्तर्गत आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाने से नामांकन में वृद्धि के साथ विद्यालय छोड़ने की प्रवृति में कमी आई है, परन्तु दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त विद्यालय भवनों के अभाव के साथ विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से विद्यालय में विद्यार्थियों का ठहराव प्रभावित होता है। अतः कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सभी कार्यशील विद्यालयों पर यथासम्भव निर्धारित मापदण्ड़ानुसार भवन एवं अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्थाओं की अनुशंषा की गयी है। आशा है कि प्रतिवेदन में प्रस्तावित सुझावों की क्रियान्विति से चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम कार्यक्रम प्रभावी ढ़ंग से संचालित हो सकेगा।

तिथि : अगस्त,2007
स्थान : जयपुर

(वी.श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

राज्य में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2001–02 से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (डी.पी.ई.पी.) के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। अभियान अन्तर्गत चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा 6–14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों की पहचान कर बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश, अनामांकित/ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ना एवं प्रभावी मानिटरिंग करना है। कार्यक्रम की सफलता की वास्तविक स्थिति का आकलन किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा यह मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन प्रतिदर्श चयन प्रणाली के आधार पर किया गया है जिसके तहत चयनित छः जिलों में 72 विद्यालयों का चयन किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान कार्यक्रम की सफलता, उपादेयता तथा बच्चों के नामांकन एवं ठहराव को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में विभागीय अनुसंधानकर्त्ताओं की सेवाओं से मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करवाया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्राप्त प्रलेख सूचनाओं, क्षेत्रीय अवलोकन एवं कार्यकारियों से साक्षात्कार के दौरान प्राप्त विचारों का तथ्यों के आधार पर यथास्थान विवेचन करते हुए उनके संचालन हेतु विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। अध्ययन प्रतिवेदन में कार्यक्रम के संचालन में रही कमियों को इंगित कर उपयोगी सुझाव यथास्थान दिये गये हैं। आशा है कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव कार्यक्रम के संचालन में रूचि रखने वाले कार्यकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : अगस्त,2007
स्थान : जयपुर

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक संक्षेप

I. प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.)–1986 एवं तत्पश्चात् प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन (पी.ओ.ए.)–1992 ने निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए नवीन दृष्टिकोण एवं दिशा–निर्देश प्रदान किए थे :–

(i) सभी 6–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए सार्वजनीन पहुँच एवं नामांकन।

(ii) 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का सार्वजनीन ठहराव।

(iii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सार्थक सुधार ताकि सभी बच्चे अधिगम के अति आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सकें।

राज्य सरकार द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से ''शिक्षा आपके द्वार'' नाम से राजीव गांधी पाठशालाओं को पंजीकृत करते हुए एक नये अभियान का शुभारम्भ 19 नवम्बर,2001 को किया गया। वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 18.12 लाख बालक/ बालिकाओं को जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे, में से 8.64 लाख बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ दिया गया था, शेष 9.48 लाख बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना था। राज्य में वर्ष 2001–02 से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (डीपीईपी) के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। डीपीईपी के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा आती है, परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसकी सीमा उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दी गयी। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनामांकित बालक/बालिकाओं का पुनः मार्च,2004 में सर्वेक्षण कार्य करवाया गया। इस सर्वेक्षण में बच्चों की तीन श्रेणियाँ बनायी गई :–

(i) 6 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले,

(ii) विद्यालय में कभी भी नामांकित नहीं होने वाले, तथा

(iii) नामांकित होने के बाद विद्यालय छोड़ने वाले बालक/बालिका।

सर्वेक्षणानुसार वर्ष 2004 में उक्त तीनों श्रेणियों के कुल 1563713 बालक–बालिकाओं को सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम में पंजीकृत किया गया।

II. सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य :

सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालय तंत्र की समुदाय की स्वामित्वता के द्वारा वर्ष 2010 तक 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

(i) सभी बच्चे पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को वर्ष 2007 तक पूर्ण करें।
(ii) सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा को वर्ष 2010 तक पूर्ण करें।
(iii) सबके लिए शिक्षा पर बल के साथ सन्तोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पर बल दिया जावें।
(iv) वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं वर्ष 2010 तक उच्च प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर सभी लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद पाट दिए जावें।
(v) वर्ष 2010 तक सार्वजनीन ठहराव हो जावें।

चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य 6–14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों की पहचान कर वर्ष 2007 तक सभी नामांकित बच्चों की 5 वर्षीच प्राथमिक शिक्षा एवं वर्ष 2010 से 8 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा करने हेतु योजना निर्माण हेतु मदद करना एवं ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास करना एवं मोनिटरिंग करना है।

III. मूल्यांकन की आवश्यकता :

चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत किये गये प्रयासों से बालक/बालिकाओं के नामांकन की प्रगति की स्थिति ज्ञात करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह अध्ययन किया गया।

IV. अध्ययन के उद्देश्य :

अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये है :–

(i) चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत चलाये गये अभियान की वस्तुस्थिति का आकलन,
(ii) बालक/ बालिकाओं के नामांकन के बाद उनकी विद्यालय में भौतिक उपस्थिति की समीक्षा,
(iii) चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण की समीक्षा,
(iv) विद्यालयों के शैक्षिक स्तर की समीक्षा,
(v) चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत निर्धारित फोलाअप कार्यक्रम की समीक्षा, एवं
(vi) कार्यक्रम में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर सुझाव देना।

V. न्यादर्श चयन :

प्रथम स्तर पर 1 जुलाई, 2004 तक शिक्षा से वंचित रहे बालक/ बालिकाओं जिनका कहीं भी नामांकन नहीं हुआ था, की संख्या के आधार पर सभी जिलों को संभागवार व्यवस्थित क्रम में सूचिबद्ध कर प्रत्येक संभाग से अधिकतम नामांकित संख्या वाले एक–एक जिले का चयन किया गया। इस प्रकार से चयनित छः जिले क्रमशः अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं बीकानेर हैं।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो पंचायत समितियों का चयन अभियान की अवधि में अधिकतम एवं न्यूनतम बालक/बालिकाऐं नामांकित संख्या के आधार पर किये गये।

तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से ग्रामीण क्षेत्र की 5–5 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जहॉ ''चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम'' की अवधि में सबसे अधिक बालक/बालिकाओं को नामांकित किया गया। शहरी क्षेत्र हेतु चयनित जिलों के मुख्यालय पर दो प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया।

अन्तिम स्तर पर चयनित विद्यालय से सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय अनुसूची में प्रारम्भिक सूचना अंकित की गई। इसके बाद प्रत्येक कक्षा के उपस्थिति के आधार पर नामांकन एवं भौतिक उपस्थिति की स्थिति को अंकित किया गया।

VI. प्रगति समीक्षा :

प्रलेख सूचनाएं शिक्षा दर्पण सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2002 से 2005 तक की संकलित कर विश्लेषण किया गया है।

(i) राज्य की कुल जनसंख्या में 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की स्थिति (2005) :–

- राज्य की जनसंख्या में 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिका 19.62 प्रतिशत है।
- 52 प्रतिशत बालक है तथा 48 प्रतिशत बालिकायें हैं।
- अनुसूचित जाति के बालक 17.23 प्रतिशत तथा बालिकायें 17.08 प्रतिशत है।
- अनुसूचित जनजाति के बालकों का प्रतिशत 12.41 है तथा बालिकाओं का प्रतिशत 12.72 हैं।

(ii) **राज्य में स्कूलों की संख्या (2005–06) :–**

- ग्रामीण क्षेत्र में 93.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एवं शहरी क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 80.3 प्रतिशत विद्यालय राजकीय है तथा शेष 19.7 प्रतिशत विद्यालय निजी स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं।
- 80.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 19.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 88.8 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 11.2 प्रतिशत विद्यालय शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।

(iii) **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (2005–06) :–**

- कुल नामांकित बालक–बालिकाओं में से 75.5 प्रतिशत बालक–बालिकाएं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शेष 24.5 प्रतिशत बालक–बालिका निजी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हैं।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं में से राजकीय विद्यालयों में 67.3 प्रतिशत तथा निजी विद्यालयों में 32.7 प्रतिशत छात्र–छात्राएं अध्ययन करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं का 85.7 प्रतिशत नामांकन हैं, शेष 14.3 प्रतिशत नामांकन शहरी क्षेत्र में है।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं में से 18.4 प्रतिशत छात्र–छात्रा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में तथा शेष 81.6 प्रतिशत नामांकन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में है।

(iv) **राज्य में कार्यरत अध्यापकों की संख्या (2005–06) :–**

- शहरी क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 10.8 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है। इन विद्यालयों में कुल नामांकन का 14.3 प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 89.2 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है। इन विद्यालयों में कुल नामांकन का 85.7 प्रतिशत नामांकन है।
- शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन का 18.4 प्रतिशत विद्यार्थी नामांकित है, अध्यापक 23.1 प्रतिशत कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र में 76.9 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है तथा 81.6 प्रतिशत छात्र–छात्रायें नामांकित है।

VII. सर्वेक्षण परिणाम :

(i) चयनित न्यादर्श :

अध्ययन हेतु चयनित 6 जिलों की चयनित 12 पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्र के 60 विद्यालयों एवं चयनित जिलों में मुख्यालय स्तर पर शहरी क्षेत्र के 12 विद्यालयों में क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न किया गया।

(ii) नामांकन हेतु किये गये प्रयास :

नामांकन वृद्धि हेतु ग्राम स्तर पर किये गये प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार है :–

- ग्राम के सभी घरों में जाकर बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया तथा शिक्षा के महत्व को भली–प्रकार समझाया गया।
- विद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्सव आयोजित किये गये।
- ग्राम में शिक्षा सम्बल हेतु प्रभात फेरियाँ/रेलियाँ निकाली गई।
- ग्राम में आयोजित आम सभा में ग्रामीणों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई।
- ग्रामीण क्षेत्र में बाल–विवाह सम्बन्धी हानियों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
- ग्राम को क्षेत्र में विभाजित किया जाकर पदस्थापित अध्यापकों के नामांकन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये।
- ग्राम में पंच/सरपंच तथा अन्य जन–प्रतिनिधियों की सहायता प्राप्त की गई।
- ग्राम में कुछ घरों के लिए टोली नायक की व्यवस्था की गई। टोली नायक को यह दायित्व दिया गया कि प्रतिदिन वह अपने आस–पास के बालक–बालिकाओं को विद्यालय लेकर आवें।
- बालक–बालिकाओं को निःशुल्क ड्रेस, जूते तथा स्टेशनरी का प्रलोभन दिया गया।
- ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर प्रयास किये गये। ग्रामीणों का ''मीठी मनुहार'' कार्यक्रम द्वारा जन–सम्पर्क किया गया।
- ग्रामीणों की महिला बैठकों में महिलाओं को समझाया गया।

(iii) चयनित विद्यालयों में नामांकन :

- वर्ष 2002–03 में प्रथम कक्षा में 4231 बालक–बालिकाओं का प्रवेश हुआ, वर्ष 2003–04 में 3029, वर्ष 2004–05 में भी लगभग यही स्थिति रही।

- शहरी क्षेत्र में भी वर्ष 2002–03 में 792 बालक–बालिकाओं को विद्यालय जाने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ, वर्ष 2003–04 में 663 तथा वर्ष 2004–05 में 549 बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिया गया।
- प्रथम कक्षा में संदर्भित तीनों ही वर्षों में बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक रही।
- प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या में दूसरे ही वर्ष कमी होने लगी अर्थात् विद्यालय छोड़ने वाले बालक–बालिकओं की (Drop-out) संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों ही विद्यालयों में देखी गयी।
- वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में प्रत्येक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से अधिक है।

(iv) **पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता :**

चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में नामांकित बालक–बालिकाओं को कुछ अपवाद छोड़कर सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाती है।

(v) **विद्यालय में नियमित उपस्थिति :**

- अध्ययन के क्षेत्र कार्य अवधि में पाया गया कि नामांकित बालक–बालिकाओं में से नियमित विद्यालय आने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या कम है। अधिकांश बालक–बालिकाएं दोपहर के भोजन के बाद स्कूल से घर चले जाते हैं।
- विद्यालयों के समय समाप्ति पर केवल कुछ बड़े बालक–बालिकाएं ही विद्यालयों में ठहरते हैं इन नामांकित बालक–बालिकाओं का 20 से 25 प्रतिशत होता है।

(vi) **चयनित विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों की स्थिति :**

- 53.5 प्रतिशत अध्यापक स्थानीय है तथा 46.5 प्रतिशत अध्यापक बाहर के है।

(vii) **कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता :**

- 10 प्रतिशत अध्यापक ही सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी थे, 90 प्रतिशत अध्यापक बी.ए., बी.एससी., एम.ए., बी.एड. तथा एम.एड. स्तर के शिक्षा प्राप्त थे।

(viii) **विद्यालय भवन की उपलब्धता :**

- चयनित ग्रामीण क्षेत्र के 35.00 प्रतिशत विद्यालयों में एवं शहरी क्षेत्र में 66.6 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के 58.3 प्रतिशत विद्यालयों में खेलकूद कोई भी व्यवस्था नहीं है।

(ix) **ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :**

- सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से मूर्तरूप प्रदान के उद्देश्य से लगभग सभी ग्रामों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया था, परन्तु समय–समय पर इन ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को महत्व दिया जाना कम होता गया, परिणाम स्वरूप यह समितियाँ लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ग्राम के बालक–बालिकाओं के नामांकन के बाद इन समितियों की विद्यालय विकास में क्या भूमिका रहनी चाहिये इसकी जानकारी इन समिति के सदस्यों को नहीं है।

(x) **चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का भौतिक सत्यापन :**

अध्ययन हेतु चयनित जिलों की स्थिति का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

1. **अलवर :**

- चयनित पंचायत समिति में चाईल्ड ट्रैकिंग सर्वे कब, किस दिनांक को सम्पन्न हुआ व उसके बाद अद्ययत किसने, कितने दिनांक बाद किया अर्थात् ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों की प्रविष्टियाँ सही ढ़ंग से संधारित नहीं की गयी।
- चयनित 12 विद्यालयों में से 8 में अर्थात् 66.66 प्रतिशत विद्यालयों में भौतिक रूप से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33.49 प्रतिशत से 50.92 प्रतिशत रही।
- ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत चयनित विद्यालयों में कक्षा प्रथम व द्वितीय का सामान्य से नीचे शैक्षिक स्तर व कक्षा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् में सामान्य स्तर पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र में CRCF, SDI, BEO, BRCF आदि अधिकारीगण/कर्मचारी प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं पर उन्होंने चाईल्ड ट्रैकिंग स्कीम के अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षण पंजिका में नामांकन, ठहराव व शैक्षणिक स्तर पर कोई टिप्पण नहीं की है और न ही कोई निरीक्षण रिपार्ट अनुपालना हेतु विद्यालय में भेजी है।

2. **उदयपुर :**

- लगभग सभी स्थानों पर शत–प्रतिशत नामांकन हो गया है। अब कोई भी बालक/बालिका नामांकन से वंचित नहीं है।
- अधिकतर स्थानों पर बालक/बालिका नामांकन के पश्चात् नियमित नहीं आते हैं, जब विद्यालय का समय प्रातः 7 से 12 होता है तो यह बच्चे नियमित हो जाते है तथा जब समय 10.30 से 4.30 का होता है तो यह बच्चे अनियमित हो जाते हैं।
- विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियाँ तो बनी हुई है किन्तु समिति के सभी सदस्य बैठकों में पूरी रूची नहीं लेते हैं तथा ज्यादातर बैठकों में आधे सदस्यों की उपस्थिति रहती है।
- कई विद्यालयों में पाँच कक्षा होने के बावजूद एक ही अध्यापक या अध्यापिका है।
- विद्यालयों में चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम अभियान के रिकार्ड या तो उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो व्यवस्थित नहीं है।

3. **जोधपुर :**

- जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों की स्थिति को सुधारने पर, विद्यालयों में मिड–डे–मील के साथ–साथ विभिन्न इन्डोर/आउटडोर खेल सामग्री को उपलब्ध कराने पर, सभी विद्यालयों में बिजली व पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने पर, छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए प्रति एक कक्षा में 40 से अधिक विद्यार्थी होने पर नया सेक्शन खोलना चाहिए।

4. **बीकानेर :**

- चयनित विद्यालयों में 2004 के सर्वे अनुसार सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ दिया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को रोजगार के लिये पलायन करने के कारण बालक–बालिकाओं का विद्यालय छोड़ना पड़ता था उसमें कुछ कमी आई है।
- प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण बालक–बालिकाओं में शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है तथा स्कूल रिकार्ड भी सुव्यवस्थित नहीं रहता है। विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी होने के कारण शैक्षणिक ज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा है।

5. **सवाईमाधोपुर :**

- सर्वे के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के ज्यादात्तर बालक–बालिकाओं का नामांकन कराया जा चुका है। इससे 6–14 वर्ष के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा नामांकित बच्चों के ठहराव में वृद्धि करने के लिए क्षेत्र में बाल मेले एवं कला जत्था आयोजन के अतिरिक्त Mother Teachers Assosiation (M.T.A.) and Parrentes Teachers Assosiation (P.T.A.) का गठन कर अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक कर रूची पैदा की जा रही है।
- शिक्षा विस्तार हेतु सम्बन्धित विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए साक्षरता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर नामांकन में वृद्धि के प्रयास किये जावें।

6. **भीलवाड़ा :**

- सर्वे के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के ज्यादातर बालक–बालिकाओं का नामांकन किया जा चुका है। शत–प्रतिशत नामांकन एवं उन्हें नियमित बनाने हेतु रिक्त पदों को भरने एवं सामुदायिक गतिशीलता की आवश्यकता है।
- सीटीएस की उपलब्धि अर्जित करने में समुदाय का पूर्ण सहयोग नहीं मिलना, बाल मजदूरी एवं घरेलू कार्य में बालक–बालिकाओं का लगाना, जन–जागृति व महिला शिक्षा में कमी, जेन्ड़र सवंदेनशीलता का अभाव, पर्याप्त अध्यापकों की उपलब्धता का अभाव एवं परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना मुख्य कारण रहे हैं।

VIII. वित्तीय प्रबन्धन :

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2001–02 (नवीं योजना) के दौरान 85 : 15 तथा 2002–03 से 2006–07 (दसवीं योजना) के दौरा 75 : 25 के अनुपात में बांटना था।

वार्षिक कार्य योजना (वाकायो) के अनुसार 2001–05 के दौरान निधियों की आवश्यकता, राप्राशिप को उपलब्ध करायी गई निधियाँ तथा उनके समक्ष किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित वाकायो			द्वारा हस्तान्तरित निधियाँ			किया गया व्यय
	भारत सरकार	राजस्थान सरकार	योग	भारत सरकार	राजस्थान सरकार	योग	
2001–02	6.41 35.88	1.13 11.97	7.54 47.85 (ईजीएस)	3.20* 35.88@	0.57$ 20.48	3.77 56.36	– 20.48
2002–03	130.76	43.58	174.34	64.07	13.16	77.23	36.84
2003–04	337.74	112.57	450.31	156.27	63.80	220.07	222.97
2004–05	480.67	160.22	640.89	235.00	108.72	343.72	395.90
योग	**991.46**	**329.47**	**1320.93**	**494.42**	**206.73**	**701.15**	**676.19#**

* भारत सरकार का भाग राज्य सरकार को 2001–02 में स्थानान्तरित किया गया था लेकिन राजस्थान सरकार ने राशि 2002–03 में 31 मार्च,2003 को दी।

@ भारत सरकार द्वारा 2002–03 में स्थानान्तरित।

$ राशि 2001–02 में स्वीकृत की गयी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे 2002–03 में 31 मार्च,2003 को स्थानान्तरित किया।

2004–05 के अन्त में अव्ययित राशि रुपये 24.96 करोड़ थी।

केन्द्रीय एवं राज्य निधियाँ वाकायो के अनुरूप 2001 से 2005 के दौरान उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी, क्योंकि निधियों की स्वीकृति 44.3 एवं 53.6 प्रतिशत के बीच रही। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश की पहली किश्त के रूप में रुपये 3.20 करोड़ 19 जिलों के लिए 27 मार्च,2002 को दिये गये थे। परिणामस्वरूप राप्राशिप द्वारा 2001–02 के दौरान कोई गतिविधि प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

IX. कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

(i) सर्वे की ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजिकाओं का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया।

ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों का संधारण सही ढ़ंग से किया जावें ताकि यह मालूम चल सके कि प्रथम सर्वे कब हुआ व अद्यतन किस दिनांक को हुआ।

(ii) सी.टी.एस. सर्वे का नियमित रूप से निर्धारित समय पर अद्यतन नहीं हुआ है।

प्रत्येक 6 माह में सी.टी.एस. सर्वे का अद्यतन कर ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ सही की जानी चाहिये।

(iii) नामांकन करने के पश्चात् घूमन्तु व कामकाजी बच्चों के लिए पृथक से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है।

घूमन्तु व कामकाजी बच्चों के लिए रात्रि के समय पृथक से स्कूल चलाई जानी चाहिए।

(iv) मन्दबुद्धि व विकलांग बच्चों को व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा नहीं दी जा रही है।

मन्दबुद्धि व विकलांग बच्चों हेतु पृथक से व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(v) ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का ठहराव बहुत कम है।

ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के ठहराव बढ़ाने हेतु अभिभावकों को शिक्षा का लाभ समझाया जावें, स्थानीय रोजगार उपलब्ध करावे, नियमित आने वाले छात्रों को प्रेरक के रूप में पैन, पेन्सिल, कापी वितरित की जावें, शिक्षा को रोचक बनाकर पढ़ाया जावें।

(vi) प्राथमिक शालाओं में अनियमित विद्यालय आने–वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत अधिक है।

अनियमित आने वाले बालक/बालिकाओं की संख्या कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए :–

- अभिभावकों को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जावें।
- बालक/बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागृति/रूचि उत्पन्न की जानी चाहिए।
- गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति/आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।
- पिछड़े समाज में शिक्षा के प्रति रूचिजागृत की जावें। बाल रैली निकाल कर स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से लोगों का सोच बदला जावें।
- पढ़ाई को रोचक बनाकर पढ़ाया जावें। कहानी, कविता, खिलौने, चार्ट, मैप के माध्यम से, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किये जावें।
- नियमित स्कूल आने वाले बच्चों को प्रेरक के रूप में पैन, पेन्सिल, स्लेट, कापी वितरित की जावें।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र में भी अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूल में न भेजकर प्राईवेट स्कूल में भेज रहे हैं जिसका कारण राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता की कमी होना पाया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने हेतु निम्न उपाय किये जाने चाहिये :–

- जो बच्चे नियमित नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों से अध्यापक सतत् सम्पर्क करें व बच्चों को स्कूल बुलावें।
- नियमित रूप से गृहकार्य करावें व जाँच कर त्रुटि संशोधन करें।
- अंकगणित के ज्ञान हेतु ब्लेक बोर्ड का उपयोग किया जावें।
- टीचर्स के रीफेर्शरस कोर्स लगाये जावें।
- कमजोर बच्चों के लिए पृथक से अध्ययन कैम्प लगाये जावें।
- गरीब बच्चों को पैन, पेन्सिल, कापी, स्लेट खरीदने हेतु प्रोत्साहन के रूप में रुपये 100/– प्रतिवर्ष की सामग्री दी जावें।
- नियमित आने–वाले बच्चों को पुरस्कार, पारितोषिक एवं प्रमाण–पत्र आदि दिये जावें।
- शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात का सन्तुलन रखा जावें।
- प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षा के स्तर की मासिक जाँच की जावें।
- पढ़ाई को रोचक बनाकर पढ़ावे।
- टी.एल.एम. का उपयोग करावें।

(viii) शाला प्रबन्धन समिति (SDMC) निष्क्रय हो गई है इसे सशक्त व क्रियाशील करने की आवश्यकता है।

(ix) समुदाय विशेष के लोग बड़ी लड़कियों को स्कूल भेजना पसन्द नहीं करते।

समुदाय विशेष में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जावें एवं बालिकाओं को स्कूल भिजवाने हेतु वातावरण तैयार किया जावें।

(x) अभिभावकों का अशिक्षित व गरीब होना भी बच्चों की भौतिक स्थिति में बाधक है।

गरीब अभिभावकों हेतु स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास कराये जावें।

(xi) प्राइवेट स्कूलों में 3–5 वर्ष के बच्चे एल.के.जी./यू.के.जी. में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों का स्कूल रजिस्टर में प्रथम कक्षा से पूर्व नाम नहीं लिखते। इन बच्चों की संख्या नामांकन में सम्मिलित नहीं हो पाती है।

(xii) विद्यालय में पर्यवेक्षण की कमी रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरूप विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिये।

X. निष्कर्ष :

राज्य में वर्ष 2001–02 में डीपीईपी के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। डीपीईपी केवल प्राथमिक शिक्षा स्तर तक सीमित रही है जबकि सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत इसकी सीमा उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दी गयी। डीपीईपी के माध्यम से वर्ष 2004 में चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम हेतु 0–14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों/ड्राप आऊट एवं नव–प्रवेशी बालकों की सूचना का विवरण प्रपत्रों में पंजीकृत किया जाना पाया गया। चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम में नामांकित समस्त बालक/बालिकाओं को वर्ष 2007 तक 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा एवं वर्ष 2010 तक 8 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा पूर्ण करवाने का लक्ष्य रखा गया। नामांकन वृद्धि हेतु बालक–बालिकाओं के माता–पिता/ अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करना, प्रभात फेरिया, रेलियाँ, विद्यालयों में उत्सव आयोजन, ग्राम के जन–प्रतिनिधियों, महिलाओं एवं अन्य जागरूक व्यक्तियों की सहभागिता अभियान में सुनिश्चित की गयी। मूल्यांकन हेतु चयनित विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवायी गयी। वर्ष 2005–06 तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं का 85.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 14.3 प्रतिशत नामांकन शहरी क्षेत्र में हुआ तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं में से 81.6 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं 18.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में नामांकन किया गया। चयनित विद्यालयों में प्रथम कक्षा में अध्ययन के संदर्भित तीनों वर्षों में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की तुलना में अधिक पायी गयी। प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या में दूसरे ही वर्ष कमी पायी गयी अर्थात् ठहराव संख्या में वृद्धि नहीं देखी गयी। नामांकित बालक– बालिकाओं में से नियमित विद्यालय आने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या कम रही हैं। ठहराव एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि नहीं होने के मुख्यतः कारण सामुदायिक गतिशीलता का अभाव एवं विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की कमी के साथ चाईल्ड ट्रेकिंग प्रपत्रों का संधारण भी सही ढ़ंग से नहीं किया जाना एवं समुचित पर्यवेक्षण की कमी रही है। सीटीएस के प्रभावी संचालन हेतु समुचित प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। सांराशतः चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम से 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन किये गये हैं, परन्तु नामांकित बच्चों के ठहराव एवं नियमित उपस्थिति में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है। कार्यक्रम के सफल संचालन परिपेक्ष्य में कमियों के साथ उनके निराकरण हेतु यथोचित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

————

अध्याय–प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.1 **प्रस्तावना** :

1.1.1 सम्पूर्ण देश में 6–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूर्ण करने का सर्व शिक्षा अभियान एक प्रयास है। मिशनरी भावना के साथ समुदाय की स्वामित्वता वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा सभी बालक–बालिकाओं की मानवीय योग्यताओं को सुधारने के लिए एक सुअवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को उत्प्रेरित करने का यह एक सुअवसर है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की सहभागिता है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य बल विभिन्न व्यूह रचनाओं के द्वारा विद्यालयों से बाहर रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में नामांकित कराने एवं 6–14 आयुवर्ग के बच्चों को आठ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराने पर है। इसमें लिंग एवं सामाजिक भेदों को पाटने एवं विद्यालयों में सभी बच्चों के शत–प्रतिशत ठहराव पर बल दिया गया है। यह आशा की जाती है कि शिक्षा को सारगर्भित बनाया जावेगा ताकि बच्चे एवं उनके अभिभावक अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार विद्यालय तंत्र को उपयोगी एवं आत्मसात करने वाला समझें।

1.1.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.)–1986 एवं तत्पश्चात् प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन (पी.ओ.ए.)–1992 ने निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए नवीन दृष्टिकोण एवं दिशा–निर्देश प्रदान किए थे :–

(i) सभी 6–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए सार्वजनीन पहुँच एवं नामांकन।
(ii) 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का सार्वजनीन ठहराव।
(iii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सार्थक सुधार ताकि सभी बच्चे अधिगम के अति आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सकें।

1.1.3 राज्य सरकार द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से ''शिक्षा आपके द्वार'' नाम से राजीव गांधी पाठशालाओं को पंजीकृत करते हुए एक नये अभियान का शुभारम्भ 19 नवम्बर,2001 को किया गया। इस कार्यक्रम में परम्परागत तरीकों को नवीन परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सम्मिलित करते हुये चलाया गया था। वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में

18.12 लाख बालक/ बालिकाओं को जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे, में से 8.64 लाख

बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ दिया गया था, शेष 9.48 लाख बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना था। राज्य में वर्ष 2001–02 से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (डीपीईपी) के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। डीपीईपी के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा आती है परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसकी सीमा उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दी गई। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनामांकित बालक/बालिकाओं का पुनः मार्च,2004 में सर्वेक्षण कार्य करवाया गया। इस सर्वेक्षण में बच्चों की तीन श्रेणियाँ बनायी गई :–

(i) 6 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले,
(ii) विद्यालय में कभी भी नामांकित नहीं होने वाले, तथा
(iii) नामांकित होने के बाद विद्यालय छोड़ने वाले बालक/बालिका।

1.1.4 सर्वेक्षणानुसार वर्ष 2004 में उक्त तीनों श्रेणियों के कुल 1563713 बालक–बालिकाओं को सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम में पंजीकृत किया गया।

1.2 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य :

1.2.1 सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालय तंत्र की समुदाय स्वामित्वता के द्वारा वर्ष 2010 तक 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग भेद को पाटना भी इसका एक लक्ष्य रहा है। इसका लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में इस प्रकार से सीखने एवं पूर्ण ज्ञान कराने का है जो मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही रूप में उनकी मानवीय क्षमताओं को पूर्णतः विकसित कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के महत्व का अनुभव करता है। यह 6–14 की आयु को लगातार कड़ी के रूप में देखता है। इसलिए इस अभियान के अन्तर्गत आईसीडीएस केन्द्रों अथवा ऐसे विशेष पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों, जो आईसीडीएस के क्षेत्र में नहीं हैं, को पूर्व प्राथमिक शिक्षा में सम्बल देने हेतु सभी प्रयास किए जावेंगे और इस तरह ये प्रयत्न महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किए जो रहे प्रयासों के पूरक होगें। सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

(i) सभी बच्चे पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को वर्ष 2007 तक पूर्ण करें।
(ii) सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा को वर्ष 2010 तक पूर्ण करें।
(iii) सबके लिए शिक्षा पर बल के साथ सन्तोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पर बल दिया जावें।

(iv) वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं वर्ष 2010 तक उच्च प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर सभी लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद पाट दिए जावें।

(v) वर्ष 2010 तक सार्वजनीन ठहराव हो जावें।

1.2.2 चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के द्वारा 0–14 वर्ग के बच्चों को ''कभी भी नामांकित नहीं होने वाले'' तथा ड्राप आउट बच्चों के साथ–साथ ऐसे बच्चों का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने के समीप होने के कारण आगामी सत्र में नामांकन होना था उन सब बालक–बालिकाओं की सूचनाएं नियोजन के लिए चार रजिस्टरों में क्रमशः 0–5 आयु वर्ग के बच्चों का विवरण, 6–14 आयु वर्ग के नामांकित बच्चों का विवरण, 6–14 आयु वर्ग के ड्राप आउट बच्चों का विवरण, 6–14 आयु वर्ग के कभी भी नामांकित न होने वाले बच्चों का विवरण अंकित करवाया गया। मार्च,2004 में अनामांकित बालक–बालिकाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :–

- वर्ष 2004 में 6 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चे जो कक्षा–1 में प्रवेश लेगें 1155042
- 6–14 आयु वर्ग के ड्राप आउट बच्चे 254909
- स्कूल में कभी भी नामांकित नहीं होने वाले 6–14 आयु वर्ग के बच्चे 153762

कुल अनामांकित बालक–बालिकाएं 1563713

1.2.3 चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य 6–14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों की पहचान कर वर्ष 2007 तक सभी नामांकित बच्चों की 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा एवं 8 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा करने हेतु योजना निर्माण हेतु मदद करना एवं ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास करना तथा प्रभावी मानिटरिंग करना है।

1.3 राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान :

1.3.1 राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान को एक नजर में निम्न सारणी अनुसार देखा जा सकता है :–

राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने का वर्ष	2001–02
सर्व शिक्षा अभियान का समाप्ति वर्ष	2010
वार्षिक कार्ययोजना (2004–05) की लागत	617.64 करोड़ रुपये
स्पिल ओवर 2004–05	87.89 करोड़ रुपये
कुल व्यय (मार्च,2005 तक)	385.89 करोड़ रुपये
वर्ष 2004–05 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल राशि	230.00 करोड़ रुपये
वर्ष 2004–05 में राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल राशि	107.06 करोड़ रुपये
सर्व शिक्षा अभियान का क्षेत्र	32 जिले (सम्पूर्ण राज्य)

सर्व शिक्षा अभियान–वित्तीय सुर्खियाँ 2004–05	
• भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के अनुदान का अनुपात 75 : 25 था। • वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत 617.64 करोड़ रुपये की स्वीकृत कार्ययोजना के विरूद्ध कुल व्यय 385.89 करोड़ रुपये था जो वार्षिक कार्य योजना का 62.48 प्रतिशत था।	

1.4 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.4.1 चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत किये गये प्रयासों से बालक/ बालिकाओं के नामांकन की प्रगति की स्थिति ज्ञात करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह अध्ययन किया गया।

1.5 अध्ययन के उद्देश्य :

1.5.1 अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये है :–

(i) चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत चलाये गये अभियान की वस्तुस्थिति का आकलन,

(ii) बालक/ बालिकाओं के नामांकन के बाद उनकी विद्यालय में भौतिक उपस्थिति की समीक्षा,

(iii) चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण की समीक्षा,

(iv) विद्यालयों के शैक्षिक स्तर की समीक्षा,

(v) चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत निर्धारित फोलाअप कार्यक्रम की समीक्षा, एवं

(vi) कार्यक्रम में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर सुझाव देना।

1.6 न्यादर्श चयन :

1.6.1 राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचना अनुसार प्रथम स्तर पर 1जुलाई, 2004 तक शिक्षा से वंचित रहे बालक/ बालिकाओं जिनका कहीं भी नामांकन नहीं हुआ था, की संख्या के आधार पर जिलेवार सूची बनायी गयी। तत्पश्चात् सभी जिलों को संभागवार व्यवस्थित क्रम में जमाया गया एवं प्रत्येक संभाग से अधिकतम नामांकित संख्या वाले एक–एक जिले का चयन किया गया। इस प्रकार से चयनित जिले क्रमशः अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं बीकानेर हैं।

1.6.2 द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो–दो पंचायत समितियों का चयन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उन दो पंचायत समितियों का चयन किया गया जहॉ अभियान की अवधि में अधिकतम एवं न्यूनतम बालक/ बालिकाऐं नामांकित किये गये हैं। उक्त सूचना प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की गयी।

1.6.3 तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से ग्रामीण क्षेत्र के 5–5 प्राथमिक विद्यालयों का चयन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया जहॉ ''चाईल्ड ट्रेकिंग

सिस्टम'' की अवधि में सबसे अधिक बालक/ बालिकाओं को नामांकित किया गया है। विद्यालयों के चयन में केवल राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं राजीव गांधी पाठशालाओं का ही चयन किया गया। इनमें कन्या विद्यालयों के चयन को भी वरियता दी गई अर्थात् दो कन्या विद्यालयों का चयन किया गया।

1.6.4 विद्यालयों के चयन में यह भी ध्यान रखा गया है कि विद्यालय मुख्य सड़कों से कम से कम 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित हो तथा एक ही दिशा/ सड़क पर नहीं हो अर्थात् पंचायत समिति की चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व हो सके। शहरी क्षेत्र की स्थिति की जानकारी हेतु चयनित जिलों के मुख्यालय पर स्थित कच्ची बस्तियों के नजदीक कार्यशील दो राजकीय विद्यालयों का चयन किया जाकर क्षेत्र कार्य सम्पन्न किया गया। इन दो विद्यालयों में से एक कन्या विद्यालय का चयन किया गया।

1.6.5 अन्तिम स्तर पर चयनित विद्यालय से सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय अनुसूची में प्रारम्भिक सूचना अंकित की गई। इसके बाद प्रत्येक कक्षा के उपस्थिति के आधार पर नामांकन एवं भौतिक उपस्थिति की स्थिति को अंकित किया गया।

1.7 **निर्धारित अनुसूचियाँ** :

(i) **जिला प्रलेख अनुसूची** :
इस अनुसूची में शिक्षा दर्पण से प्राप्त परिणामों का अंकन किया गया, जिसके आधार पर दो पंचायत समितियों का चयन किया गया।

(ii) **पंचायत समिति प्रलेख अनुसूची** :
शिक्षा दर्पण सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों का अंकन किया गया। प्रत्येक पंचायत समिति में अधिकतम नामांकन वाले विद्यालयों का चयन पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध रिकार्ड में से किया गया।

(iii) **विद्यालय अनुसूची** :
चयनित विद्यालय की स्थिति का विवरण अंकित किया गया। उक्त अनुसूची विद्यालय रिकार्ड एवं विद्यालय प्रभारी एवं छात्र समूह एवं उनके अभिभावकों के आधार पर संकलित की गयी।

(iv) **कार्यकारी अनुसूची** :
उक्त अनुसूची विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षा समिति के सदस्यों से भरी गयी।

1.8 **संदर्भ वर्ष** :

1.8.1 अध्ययन हेतु प्रलेख सूचना शिक्षा दर्पण सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2002 से 2005 तक की प्राप्त की गई, जबकि विचार सर्वेक्षण तिथि से सम्बन्धित हैं।

———————

अध्याय–द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1 प्राथमिक शिक्षा के असाधारण प्रसार के बाद भी राज्य में विद्यालय नहीं जाने वाले बालक/बालिकाओं की एक बड़ी संख्या है। प्राथमिक स्तर पर ठहराव की दर 50 प्रतिशत से भी कम है। अब तक किये गये सभी प्रयासों के उपरान्त भी प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों की उपलब्धि के स्तरों में बड़े अन्तर चल रहे हैं, विद्यालयों में जाने वाले बालक–बालिकाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत उस अकादमिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसकी आशा उनसे विभिन्न स्तरों पर की जाती हैं। 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण औपचारिक शिक्षा अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

2.1.1 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बहुत से विद्यालयों में ऐसी उपयुक्त सुविधाओं की कमी है जो बालक–बालिकाओं को विद्यालयों की ओर आकर्षित कर सकती थी।

2.1.2 राज्य की जनसंख्या में 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की जनसंख्या की स्थिति निम्न सारणी के अनुसार है :–

सारणी संख्या–1

राज्य की कुल जनसंख्या में 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की स्थिति (2005)

क्र.सं.	पुरूष/स्त्री	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिका (2005)			
			बालक/बालिका	संख्या (लाख में)	प्रतिशत	
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	पुरूष	2.94	बालक	57.72	17.23	12.41
2.	स्त्रियाँ	2.71	बालिका	53.16	17.08	12.72
	योग	**5.65**	**योग**	**110.88**		

2.1.3 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं :–

(i) राज्य की जनसंख्या में 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिका 19.62 प्रतिशत है।

(ii) उक्त सूचना के अनुसार 52 प्रतिशत बालक है तथा 48 प्रतिशत बालिकायें हैं इससे स्पष्ट है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या कम है।

(iii) राज्य की कुल जनसंख्या में भी पुरूषों की संख्या 52 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत है।

(iv) राज्य में अनुसूचित जाति के बालक 17.23 प्रतिशत तथा बालिकायें 17.08 प्रतिशत है।

(v) अनुसूचित जनजाति के बालकों का प्रतिशत 12.41 है तथा बालिकाओं का प्रतिशत कुछ अधिक 12.72 हैं।

2.1.4 राज्य में स्कूल स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालयों की संख्या 97204 हैं इनकी स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–2

राज्य में स्कूलों की संख्या वर्ष 2005–06

क्र. सं.	विवरण	राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	योग	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	प्राथमिक विद्यालय	56237	5308	61545	4043	57502
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	21869	13790	35659	6886	28773
	योग	**78106**	**19098**	**97204**	**10929**	**86275**

2.1.5 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार :–

(i) राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 61545 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 35659 है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में 93.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है।

(iii) 35659 कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 61.3 प्रतिशत विद्यालय राजकीय है तथा शेष 38.7 प्रतिशत विद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

(iv) कुल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 80.3 प्रतिशत विद्यालय राजकीय है तथा शेष 19.7 प्रतिशत विद्यालय निजी स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं।

(v) 80.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं तथा 19.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है।

(vi) कुल संचालित हो रहे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 88.8 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा शेष 11.2 प्रतिशत विद्यालय शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।

2.1.6 राज्य में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की संख्या लगभग 1.19 करोड़ है, इसके बाद भी 211874 बालक–बालिकायें नियमित रूप से अभी तक विद्यालय नहीं जाते है। इस संख्या में से 61604 बालक–बालिकायें ऐसी है जिन्होंने कभी किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है।

सारणी संख्या–3

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	योग	शहरी विद्यालय	ग्रामीण विद्यालय
1.	प्राथमिक विद्यालय	6768579 (75.5)	2196319 (24.5)	8964898	1275858 (14.3)	7652348 (85.7)
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1954938 (67.3)	947755 (32.7)	2902693	541920 (18.4)	2397465 (81.6)
	योग	**8723517 (73.5)**	**3144074 (26.5)**	**11867591**	**1817778 (15.3)**	**10049813 (84.7)**

नोट– कोष्ठक ( ) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.1.7 उक्त तालिका राज्य में संचालित किये जा रहे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन के सम्बन्ध में निम्न तथ्य स्पष्ट करती है :–

(i) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित बालक–बालिकाओं में से 75.5 प्रतिशत बालक–बालिका नामांकित है। राज्य के निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शेष 24.5 प्रतिशत बालक–बालिका नामांकित हैं।

(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं में से राजकीय विद्यालयों में 67.3 प्रतिशत तथा निजी विद्यालयों में 32.7 प्रतिशत छात्र–छात्रायें अध्ययन करते हैं।

(iii) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित छात्रों में से राजकीय विद्यालयों में 73.5 प्रतिशत तथा निजी विद्यालयों में 26.5 प्रतिशत छात्र–छात्रा अध्ययन कर रहे हैं।

(iv) ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं का 85.7 प्रतिशत नामांकन हैं, शेष 14.3 प्रतिशत नामांकन शहरी क्षेत्र में है।

(v) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं में से 18.4 प्रतिशत छात्र–छात्रा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकित है तथा शेष 81.6 प्रतिशत नामांकन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में है।

(vi) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल नामांकन में से 15.3 प्रतिशत नामांकन शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में है तथा 84.7 प्रतिशत नामांकन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में हैं।

(vii) उक्त सारणी को सारणी संख्या–2 के संदर्भ में देखे जाने पर यह स्थिति उभर कर आती है कि कुल प्राथमिक विद्यालयों में से 93.4 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तथा 80.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 14.3 प्रतिशत छात्र–छात्राओं का नामांकन है। इस प्रकार ही उच्च प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्र में 19.3 प्रतिशत है, नामांकन 18.4 प्रतिशत है।

(viii) निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र–छात्राओं में से 15.3 प्रतिशत नामांकन शहरी क्षेत्रों में है तथा 84.7 प्रतिशत नामांकन ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

2.1.8 विद्यालयों में नामांकन की स्थिति को कार्यरत अध्यापकों की संख्या के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। राज्य में कार्यरत अध्यापकों की संख्या निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–4

राज्य में कार्यरत अध्यापकों की संख्या वर्ष 2005–06

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	योग	शहरी विद्यालय	ग्रामीण विद्यालय
1.	प्राथमिक विद्यालय	109785	22771	132556	14369 (10.8)	118187 (89.2)
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	134347	92968	227315	52425 (23.1)	174890 (76.9)
	योग	**244132**	**115739**	**359871**	**66794 (18.6)**	**293077 (81.4)**

नोट– कोष्ठक ( ) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.1.9 उक्त सारणी निम्न स्थितियाँ स्पष्ट करती है :–

(i) प्राथमिक विद्यालय जो शहरी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं उनमें कुल कार्यरत अध्यापकों का 10.8 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है। इन विद्यालयों में कुल नामांकन का 14.3 प्रतिशत है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 89.2 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है। इन विद्यालयों में कुल नामांकन का 85.7 प्रतिशत नामांकन है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत अध्यापकों का 76.9 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 23.1 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है।

(iv) उक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सारणी संख्या–3 के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन का 18.4 प्रतिशत विद्यार्थी नामांकित है, परन्तु अध्यापक 23.1 प्रतिशत कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 76.9 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है तथा कुल नामांकित छात्र–छात्राओं में से 81.6 प्रतिशत छात्र–छात्रायें नामांकित है। इस स्थिति से यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी क्षेत्रों में अध्यापक आवश्यकता

से अधिक संख्या में पदस्थापित है तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है।

(v) इस स्थिति को पूर्ण रूप से देखने पर यह परिणाम आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 81.4 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है तथा शहरी क्षेत्रों के 18.6 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है।

(vi) राजकीय विद्यालयों में 67.8 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है तथा निजी क्षेत्र के विद्यालयों में 32.2 प्रतिशत अध्यापक कार्यरत है।

2.1.10 प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बालक–बालिकाओं को पढ़ाने के लिए महिला अध्यापिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः यह भी देखा जाना आवश्यक है कि राज्य में महिला अध्यापिकाओं की स्थिति कैसी है।

सारणी संख्या–5

कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या वर्ष 2005–06

क्र. सं.	विद्यालय की श्रेणी	कुल अध्यापक		
		पुरूष	महिला	योग
1.	प्राथमिक शाला	96396 (72.7)	36160 (27.3)	132556
2.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय	122817 (72.6)	46338 (27.4)	169155
3.	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालय	21489 (71.1)	8738 (28.9)	30227
4.	केवल उच्च प्राथमिक शाला	2636 (68.4)	1216 (31.6)	3852
5.	उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालय	19184 (79.0)	5097 (21.0)	24281
	योग	**262222 (72.9)**	**97549 (27.1)**	**359771**

2.1.11 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना यह स्पष्ट करती है कि राज्य में महिला अध्यापकों की संख्या 27.1 प्रतिशत है। प्राथमिक शाला में महिला अध्यापिकाओं की संख्या 27.3 प्रतिशत है तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह संख्या 27.4 प्रतिशत है। केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31.6 प्रतिशत महिलायें कार्यरत है। उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालयों में 21 प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। अतः महिला अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

2.2 चयनित जिलों में शैक्षिक परिदृश्य :

2.2.1 अध्ययन हेतु राज्य के 6 जिलों का क्रमशः अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं बीकानेर का चयन किया गया। इन चयनित जिलों में उपलब्ध शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या निम्न तालिका में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–6

चयनित जिलों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2005–06

क्र. सं.	जिला	राजकीय		निजी		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	अलवर	2337	1146	271	1194	119	311	2489	2029
2.	भीलवाड़ा	2571	929	228	269	143	260	2656	938
3.	उदयपुर	3539	1054	200	269	163	233	3576	1090
4.	जोधपुर	3051	850	142	472	219	338	2974	984
5.	सवाईमाधोपुर	1075	421	108	328	59	113	1124	636
6.	बीकानेर	1465	551	160	416	146	378	1479	589
	योग	**14038**	**4951**	**1109**	**2948**	**849**	**1633**	**14298**	**6266**

2.2.2 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार उदयपुर जिले में सबसे अधिक 3539 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है, दूसरे स्थान पर जोधपुर में 3051 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है। भीलवाड़ा जिले में 2571 तथा अलवर जिले में 2337 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है।

2.2.3 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलवर में सबसे अधिक 1146 तथा उदयपुर जिले में 1054 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है। जोधपुर जिले में 850 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित 6 जिलों में 14038 राजकीय प्राथमिक तथा 4951 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत होने की सूचना प्राप्त हुई है।

2.2.4 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक क्षेत्र में निजी विद्यालय भी चयनित जिलों में कार्यरत है। चयनित जिलों में 1109 प्राथमिक तथा 2948 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है। उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह भी देखा जा सकता है कि चयनित सभी जिलों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों से अधिक है। उदाहरण के लिए अलवर जिले में 1194 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है परन्तु प्राथमिक विद्यालयों की संख्या केवल 271 है। यह स्थिति सभी चयनित जिलों में देखी जा सकती है।

2.2.5 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार चयनित जिलों के शहरी क्षेत्रों में 849 प्राथमिक प्राथमिक तथा 1633 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्रों मं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 6266 है तथा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 14298 है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक होनी भी चाहिए, उस ही स्थिति में नामांकन में वृद्धि संभव होती है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुसार ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किये जाते हैं।

2.2.6 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में यह भी जानने का प्रयास किया गया कि इनमें कार्यरत शैक्षिक संस्थाओं का संचालन राज्य क्षेत्र में ही है अथवा निजी संस्थायें या अन्य कोई अभिकरण भी इन्हें संचालित कर रहे है, शिक्षा से प्राप्त सूचना निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–7

चयनित जिलों में विद्यालयों के संचालन के अनुसार स्थिति वर्ष 2005–06

केवल प्राथमिक स्तर तक

(संख्या)

क्र.सं.	जिला	राजकीय	समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग	स्वायत्त शासन संस्था	अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय	अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले निजी विद्यालय	अन्य	ई.जी. एस.	मदरसा	योग
1.	अवलर	55	–	1699	6	265	–	425	158	2608
2.	भीलवाड़ा	216	–	1288	9	219	2	717	348	2799
3.	उदयपुर	598	–	1520	25	175	55	1344	22	3739
4.	जोधपुर	380	–	1277	5	137	–	1391	3	3193
5.	सवाईमाधोपुर	74	–	565	–	108	2	341	93	1183
6.	बीकानेर	71	–	893	17	143	4	497	–	1625
	योग	**1394**	**–**	**7242**	**62**	**1047**	**63**	**4715**	**624**	**15147**

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र.सं.	जिला	राजकीय	समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग	स्वायत्त शासन संस्था	अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय	अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले निजी विद्यालय	अन्य	ई.जी. एस.	मदरसा	योग
1.	अवलर	851	–	–	37	889	–	–	–	1777
2.	भीलवाड़ा	695	–	–	6	227	–	–	–	928
3.	उदयपुर	782	–	–	13	165	–	–	–	960
4.	जोधपुर	643	–	–	2	349	–	–	–	994
5.	सवाईमाधोपुर	303	1	1	–	252	1	–	–	558
6.	बीकानेर	429	–	–	23	288	–	–	–	740

	योग	3703	1	1	81	2170	1	—	—	5957

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र.सं.	जिला	राजकीय	समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग	स्वायत्त शासन संस्था	अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय	अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले निजी विद्यालय	अन्य	ई.जी. एस.	मदरसा	योग
1.	अवलर	77	—	—	9	205	—	—	—	291
2.	भीलवाड़ा	35	—	—	20	11	—	—	—	66
3.	उदयपुर	55	—	—	12	61	—	—	—	128
4.	जोधपुर	68	—	—	—	98	1	—	—	167
5.	सवाईमाधोपुर	10	—	—	—	56	—	—	—	66
6.	बीकानेर	22	—	—	8	77	2	—	—	109
	योग	**267**	**—**	**—**	**49**	**508**	**3**	**—**	**—**	**827**

केवल उच्च प्राथमिक स्तर तक वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र.सं.	जिला	राजकीय	समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग	स्वायत्त शासन संस्था	अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय	अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले निजी विद्यालय	अन्य	ई.जी. एस.	मदरसा	योग
1.	अवलर	6	—	—	—	—	—	—	—	6
2.	भीलवाड़ा	197	—	—	2	3	2	—	—	204
3.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	जोधपुर	2	—	—	—	—	—	—	—	2
5.	सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	बीकानेर	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	योग	**206**	**—**	**—**	**2**	**3**	**2**	**—**	**—**	**213**

उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र.सं.	जिला	राजकीय	समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग	स्वायत्त शासन संस्था	अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय	अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले निजी विद्यालय	अन्य	ई.जी. एस.	मदरसा	योग
1.	अवलर	212	—	—	3	51	—	—	—	266

2.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	उदयपुर	214	–	2	6	12	1	–	–	235
4.	जोधपुर	135	–	–	1	22	1	–	–	159
5.	सवाईमाधोपुर	103	–	–	–	20	2	–	–	125
6.	बीकानेर	97	–	–	2	18	–	–	–	117
	योग	**761**	**–**	**2**	**12**	**123**	**4**	**–**	**–**	**902**

2.2.7 उक्त सारणी अध्ययन हेतु चयनित जिलों में प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अध्ययन हेतु चयनित जिलों के विद्यालयों की संख्या को देखने पर प्रतीत होता है कि राजकीय विद्यालयों के साथ ही निजी विद्यालय जिनमें अनुदानित एवं गैर–अनुदानित विद्यालय भी अच्छी संख्या में कार्यरत है अर्थात् शैक्षिक क्षेत्र में निजी भागीदारी भी आगे आ रही है।

2.3 नामांकन की स्थिति :

2.3.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अध्ययन हेतु चयनित जिलों में नामांकन की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–8

चयनित जिलों में नामांकन की स्थिति वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	राजकीय विद्यालय		निजी विद्यालय		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	अलवर	335216	101178	137122	70308	38343	19185	433934	152362
2.	भीलवाड़ा	248421	77122	49363	17261	49151	23041	247983	71992
3.	उदयपुर	331795	94310	53624	17634	42001	20983	342060	92319
4.	जोधपुर	370331	72699	83942	33747	70625	25426	378345	86323
5.	सवाईमाधोपुर	131095	32330	51660	21118	20277	8373	161458	46095
6.	बीकानेर	222098	43643	68412	28860	57904	23605	231966	49538
	योग	**1638956**	**421282**	**444123**	**188928**	**278301**	**120613**	**1795746**	**498629**

2.3.2 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार अध्ययन हेतु चयनित जिलों में कार्यरत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों मं 16.39 लाख बालक–बालिकायें नामांकित तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4.21 लाख बालक–बालिकायें नामांकित थे। निजी क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में 4.41 लाख बालक–बालिकायें नामांकित बताई गई है तथा निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बालक–बालिकाओं की संख्या 1.89 लाख रही है।

2.3.3 चयनित जिलों के शहरी क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में 2.78 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में 17.96 लाख बालक–बालिकायें नामांकित होने की सूचना प्राप्त हुई है। शहरी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4.99 लाख बालक–बालिकायें नामांकित बताये गये हैं।

2.3.4 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये गये/किये जा रहे प्रयासों के बाद भी नामांकित होने से शेष रहे बालक–बालिकाओं की संख्या भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार राज्य में 61604 बालक–बालिकायें ऐसी थी जिनका कभी नामांकन नहीं हो सका था। इस स्थिति का विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :–

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	राज्य में कुल विद्यालय	97204
2.	कुल नामांकन	118.67 लाख
3.	विद्यालयों से बाहर बालक–बालिका	2.12 लाख
4.	विद्यालय छोड़ गये बालक–बालिका	1.50 लाख
5.	अनामांकित बालक–बालिका	61604

2.3.5 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में 118.67 लाख बालिक–बालिकाओं के नामांकित होने के बाद भी नामांकन हेतु बालक–बालिकायें विद्यालयों में नामांकन हेतु शेष है। विद्यालयों में नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या भी काफी है। राज्य स्तर की सूचना के अनुसार 39.85 प्रतिशत बालक–बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अतः इस दिशा में ध्यान दिया जाना आवश्यक है। विद्यालयों में नामांकन के लिए काफी प्रयास करने होते है तथा नामांकित होने के बाद लगभग 40 प्रतिशत नामांकित बालक–बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देना नामांकन के प्रयासों को असफल कर देता है।

2.3.6 उक्त स्थिति की सूचना अध्ययन हेतु चयनित जिलों के लिए भी एकत्रित की गई जिसका विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–9

वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	कुल विद्यालय	कुल नामांकन	विद्यालय से बाहर बालक–बालिका	विद्यालय छोड़ गये बालक–बालिका	विद्यालय छोड़ गये बालक–बालिका (प्रतिशत)	अनामांकित बालक–बालिका
1.	अलवर	4948	643824	12599	11204	33.12	1395
2.	भीलवाड़ा	3997	392167	8416	7908	32.3	508

3.	उदयपुर	5062	497363	9065	5571	40.43	3494
4.	जोधपुर	4515	560719	12385	8804	43.71	3581
5.	सवाईमाधोपुर	1932	236203	4216	3332	41.58	884
6.	बीकानेर	2592	363013	6019	4364	42.85	1655
	योग	**23046**	**2693289**	**52700**	**41183**		**11517**

2.3.7 उक्त सारणी अध्ययन हेतु चयनित जिलों के शैक्षिक स्थिति की पूर्ण परिचायक है। उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त जिलों में नामांकन हेतु किये गये/किये जा रहे प्रयासों के बाद भी नामांकन हेतु बालक–बालिकायें नामांकन हेतु उपलब्ध है। नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ गये बालक–बालिकाओं का प्रतिशत भी लगभग 40 प्रतिशत है।

2.4 चयनित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक :

2.4.1 विद्यालयों के संचालन में अध्यापक मुख्य कड़ी है। विद्यालय में नामांकित बालक–बालिकायें कुछ सीखने के लिए आते हैं तथा अध्यापक से आशा करते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने में मदद करेगें, परन्तु पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं होने की स्थिति में बालक–बालिकाओं को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, परिणाम स्वरूप कुछ समय विद्यालय आने के बाद बालक–बालिका विद्यालय आना बन्द कर देते हैं तथा बाद में विद्यालय से अपना नाता तोड़ लेते हैं। अतः प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में अध्यापक पदस्थापित होने चाहिए। अध्ययन हेतु चयनित जिलों में कार्यरत अध्यापकों की स्थिति की सूचना प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–10

चयनित जिलों में कार्यरत अध्यापकों की स्थिति वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	प्राथमिक विद्यालय				उच्च प्राथमिक विद्यालय			
		राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	अलवर	5141	735	330	5546	6793	7382	2027	12148
2.	भीलवाड़ा	4961	1110	780	5291	5534	2223	2157	5600
3.	उदयपुर	6482	1011	629	6864	8875	–	2100	6775
4.	जोधपुर	5910	528	792	5646	5315	3333	2625	6023
5.	स.माधोपुर	2090	415	160	2345	2541	2030	763	3808
6.	बीकानेर	2840	659	573	2926	3891	3056	2998	3949
	योग	**27424**	**4458**	**3264**	**28618**	**32949**	**18024**	**12670**	**38303**

2.4.2 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 31882 अध्यापक कार्यरत है इनमें से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 27424 (86 प्रतिशत) तथा निजी क्षेत्र के विद्यालयों में 4458 (14 प्रतिशत) अध्यापक कार्यरत है। राजकीय क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या सबसे अधिक 6482 उदयपुर जिले में है तथा सबसे कम 2090 सवाईमाधोपुर जिले में है। इन कार्यरत अध्यापकों में से शहरी क्षेत्र में 3264 (10.2 प्रतिशत) कार्यरत है तथा ग्रामीण क्षेत्र में 28618 (89.3 प्रतिशत) अध्यापक कार्यरत है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या 50973 है इनमें से 32949 (64.6 प्रतिशत) अध्यापक राजकीय विद्यालयों में तथा 18024 (35.4 प्रतिशत) निजी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र में 38303 (75.1 प्रतिशत) तथा शहरी क्षेत्र में 12670 (24.9 प्रतिशत) अध्यापक कार्यरत है।

2.5 चयनित जिलों में कार्यरत अध्यापकों का लिंगानुसार विवरण :

2.5.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में कार्यरत अध्यापकों के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि विद्यालयों में महिला एवं पुरूष अध्यापकों का क्या अनुपात है। राज्य स्तर पर यह स्थिति स्पष्ट हुई थी कि लगभग 21 प्रतिशत महिला अध्यापक कार्यरत है। अध्ययन हेतु चयनित जिलों से प्राप्त सूचना निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–11
कार्यरत अध्यापकों का लिंगानुसार विवरण वर्ष 2005–06

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	केवल प्राथमिक		प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक		प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक		केवल उच्च प्राथमिक		उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	अलवर	4215	1661	8161	2600	1431	484	22	10	1121	346
2.	भीलवाड़ा	3751	2320	3435	2574	277	227	947	297	–	–
3.	उदयपुर	4632	2861	3689	2523	475	716	–	–	945	527
4.	जोधपुर	4644	1794	4458	2085	806	399	0	2	630	268
5.	स.माधोपुर	2118	387	2751	632	421	83	–	98	586	–
6.	बीकानेर	2392	1107	3256	2054	515	446	5	0	431	240
	योग	**21752**	**10130**	**25750**	**12468**	**3925**	**2355**	**974**	**407**	**3713**	**1381**

2.5.2 प्राथमिक स्तर पर कार्यरत कुल अध्यापकों 32882 में से 10130 (30.8 प्रतिशत) महिला अध्यापिकायें कार्यरत है। चयनित जिलों की स्थिति को देखने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि उदयपुर जिले में कुल 7493 कार्यरत अध्यापकों में से 2861 (38.2 प्रतिशत) महिला अध्यापिकायें कार्यरत है।

2.5.3 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 38218 अध्यापक एवं अध्यापिकायें कार्यरत हैं, इनमें से 12468 (32.6 प्रतिशत) महिला अध्यापिकायें कार्यरत है तथा शेष 67.4 प्रतिशत पुरूष अध्यापक कार्यरत है। राज्य में संचालित उन विद्यालयों में जहाँ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षायें एक साथ लगाई जाती है वहाँ कुल 6280 अध्यापक कार्यरत है इनमें से 37.5 प्रतिशत महिला अध्यापिकायें कार्यरत है।

2.5.4 राज्य में संचालित राजकीय विद्यालयों में 40 छात्र–छात्राओं को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक उपलब्ध करवाने के मापदण्ड़ निर्धारित किये गये है, परन्तु इसकी पालना संभवतया नहीं होती है। शहरी क्षेत्र अथवा शहर के आस–पास की मुख्य सड़कों पर विद्यार्थियों के अनुपात से अधिक अध्यापक कार्यरत पाये जाते हैं तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी ही रहती है, क्योंकि सभी अध्यापक अपना पदस्थापन शहर में अथवा शहर के नजदीक विद्यालयों में ही करवाना चाहते हैं।

————

अध्याय–तृतीय

सर्वेक्षण परिणाम

3.1 अध्ययन के अध्ययन रूपांकन के अनुसार प्रत्येक चयनित पंचायत समितियों से 5–5 विद्यालयों का चयन किया गया इनमें बालिका विद्यालयों का भी चयन किया गया। अध्ययन रूपांकन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 60 विद्यालयों, शहरी क्षेत्र के कच्ची बस्तियों में संचालित 12 विद्यालयों का चयन किया गया। इन चयनित विद्यालयों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों से विचार–विमर्श कर उनके विचार प्राप्त किये गये। यह अध्याय इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

3.2 चयनित विद्यालयों में नामांकन :

3.2.1 अध्ययन हेतु 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के 60 विद्यालयों तथा शहरी क्षेत्र के 12 विद्यालयों में वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में नामांकित छात्र–छात्राओं की स्थिति की सूचना प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–12
चयनित विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	कक्षा	क्षेत्र	वर्षवार नामांकन								
			2002–03			2003–04			2004–05		
			छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	प्रथम	ग्रामीण	1832	2399	4231	1340	1689	3029	1449	1608	3057
		शहरी	342	450	792	294	369	663	276	273	549
2.	द्वितीय	ग्रामीण	1237	1221	2548	1165	1568	2733	930	1224	2154
		शहरी	170	205	375	173	221	394	179	227	406
3.	तृतीय	ग्रामीण	855	915	1770	952	953	1905	892	1030	1922
		शहरी	152	178	330	131	141	272	103	150	253
4.	चतुर्थ	ग्रामीण	758	737	1495	764	846	1610	788	769	1557

		शहरी	117	140	257	129	101	230	93	114	207
5.	पंचम्	ग्रामीण	616	646	1262	735	695	1430	725	753	1478
		शहरी	84	105	189	111	78	189	109	79	188

3.2.2 अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों के नामांकन की उक्त उपलब्ध सूचना से निम्न स्थितियाँ सामने आती है :–

(i) वर्ष 2002–03 में प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए किये गये प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में 4231 बालक–बालिकाओं का प्रवेश हुआ, वर्ष 2003–04 में इस स्थिति में कुछ कमी आयी और प्रथम कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या 3029 रही, वर्ष 2004–05 में भी लगभग यही स्थिति रही।

(ii) शहरी क्षेत्र में भी वर्ष 2002–03 में 792 बालक–बालिकाओं को विद्यालय जाने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ, वर्ष 2003–04 में यह संख्या 663 तथा वर्ष 2004–05 में 549 बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिया गया।

(iii) प्रथम कक्षा में संदर्भित तीनों ही वर्षों में बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक रही है। संभवतया इसका कारण यह रहा है कि पूर्व में बालिकाओं के प्रवेश के लिए ग्राम स्तर पर प्रयत्न नहीं किये गये, इन वर्षों में प्रयत्न करने पर बालिकाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ही परिलक्षित नहीं होती है, यह स्थिति शहर के विद्यालयों में भी देखी जा सकती है।

(iv) प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या में दूसरे ही वर्ष कमी होने लगी अर्थात् विद्यालय छोड़ने वाले बालक–बालिकओं की (Drop-out) संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों ही विद्यालयों में देखी जा सकती है।

(v) यह संकल्प कि वह बालक–बालिका जो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेता है वह कम से कम कक्षा–5 तक अवश्य पढ़े, यह स्थिति अभी दूर की बात दिखाई देती है।

(vi) उक्त सारणी से यह भी स्थिति उभर कर आती है कि इन वर्षों में प्रत्येक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से अधिक है। यह एक सन्तोषजनक

स्थिति का परिचायक माना जा सकता है कि अब बालिकाओं की शिक्षा पर ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक ध्यान देने लगे हैं।

3.2.3 ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन वृद्धि हुई है, इस तथ्य को सभी स्तर पर स्वीकार किया गया है। इस हेतु ग्राम स्तर पर किये गये प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार प्राप्त हुआ है :–

(i) ग्राम के सभी घरों में जाकर बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया तथा शिक्षा के महत्व को भली–प्रकार समझाया गया।

(ii) विद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्सव आयोजित किये गये।

(iii) ग्राम में शिक्षा सम्बल हेतु प्रभात फेरियाँ/रेलियाँ निकाली गई।

(iv) ग्राम में आयोजित आम सभा में ग्रामीणों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई।

(v) ग्रामीण क्षेत्र में बाल–विवाह सम्बन्धी हानियों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

(vi) ग्राम को क्षेत्र में विभाजित किया जाकर पदस्थापित अध्यापकों के नामांकन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये।

(vii) ग्राम में पंच/सरपंच तथा अन्य जन–प्रतिनिधियों की सहायता प्राप्त की गई।

(viii) ग्राम में कुछ घरों के लिए टोली नायक की व्यवस्था की गई। टोली नायक को यह दायित्व दिया गया कि प्रतिदिन वह अपने आस–पास के बालक–बालिकाओं को विद्यालय लेकर आवें।

(ix) बालक–बालिकाओं को निःशुल्क ड्रेस, जूते तथा स्टेशनरी का प्रलोभन दिया गया।

(x) ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर प्रयास किये गये। ग्रामीणों का ''मीठी मनुहार'' कार्यक्रम द्वारा जन–सम्पर्क किया गया।

(xi) ग्रामीणों की महिला बैठकों में महिलाओं को समझाया गया।

3.2.4 उक्त प्रकार के किये गये प्रयासों से निःसन्देह नामांकन में वृद्धि हुई है।

3.2.5 राजकीय प्रयासों के बाद भी शत–प्रतिशत बालक–बालिकाओं का नामांकन नहीं हो रहा है/हो पाया है, इस सम्बन्ध में भी क्षेत्र में कार्यरत जन–प्रतिनिधियों, अध्यापकों से शत–प्रतिशत नामांकन नहीं होने के लिए क्या कारण रहे है, जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(i) ग्राम के विद्यालयों में बालक–बालिकाओं संख्या के अनुसार कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है।

(ii) ग्रामीण/शहरी अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छोटे–छोटे बालक–बालिकाओं को कार्य करने पर लगा देते है।

(iii) अभिभावक भी अशिक्षित है अतः उन्हें अपने बालक–बालिकाओं के स्कूल भेजने में कोई रूची नहीं होती है।

(iv) गरीबी के कारण कुछ परिवार एक स्थान पर नहीं रह पाते हैं, अतः उनके बालक–बालिकाओं का नामांकन संभव नहीं हो पाता है।

(v) परिवार में शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं होने के कारण बालक–बालिकाओं में भी शिक्षा के प्रति कोई लगाव नहीं होता है।

(vi) परिवार में छोटे बालकों को रखने के लिए बड़े बालकों को विद्यालय नहीं भेजते हैं।

(vii) बालकों को पशु–पालन एवं कृषि कार्य में लगा दिया जाता है।

(viii) ग्रामीण अध्यापक ग्राम में नहीं ठहरते हैं तथा ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल पाता है।

(ix) अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी।

3.3 पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता :

3.3.1 चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं से यह जानकारी प्राप्त की गई कि उन्हें नामांकन के बाद पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है। इस सम्बन्ध में यह स्थिति बतायी गई कि नामांकित बालक–बालिकाओं को कुछ अपवाद छोड़कर सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाती है।

3.4 विद्यालय में नियमित उपस्थिति :

3.4.1 विद्यालयों में केवल नामांकन में वृद्धि होना ही उद्देश्य में सफलता नहीं माना जा सकता है। विद्यालयों में नामांकन के बाद नामांकित बालक–बालिकायें नियमित विद्यालय आवें तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करें तभी नामांकन की सफलता मानी जा सकती है।

3.4.2 अध्ययन के क्षेत्र कार्य अवधि में पाया गया कि नामांकित बालक–बालिकाओं में से नियमित विद्यालय आने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या कम है। अध्ययन अवधि में यह भी देखा गया कि अधिकांश बालक–बालिकाएं दोपहर के भोजन के बाद स्कूल से घर चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में पदस्थापित अध्यापकों द्वारा यह जानकारी उपलब्ध करवायी गई कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण बालक–बालिकाएं विद्यालय से चले जाते हैं। विद्यालयों में पीने के पानी की कमी, कक्षा कक्षों की कमी, अध्यापकों की कमी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है। नामांकन होने के बाद अध्यापक इस संख्या को पढ़ाई कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अध्यापक वर्ग का यह भी कहना था कि उनके पास केवल विद्यालयों में पढ़ाई करवाने का ही कार्य नहीं है उनके पास अन्य कई कार्य है जिसमें उन्हें प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है जिससे बालक–बालिकाओं को कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता है, परिणाम स्वरूप नामांकित छात्र–छात्राएं विद्यालय आना बन्द कर देते हैं अथवा दोपहर के भोजन के बाद विद्यालयों से चले जाते हैं। अध्ययन अवधि में यह भी विशेष रूप से देखा गया कि विद्यालयों के समय समाप्ति पर केवल कुछ बड़े बालक–बालिकाएं ही विद्यालयों में ठहरते हैं इन नामांकित बालक–बालिकाओं का 20 से 25 प्रतिशत होता है। यह स्थिति छात्र–छात्राओं की ही नहीं है कार्यरत अध्यापक–अध्यापिकाएं भी पूर्ण विद्यालय समय तक उपस्थित नहीं रहते हैं। बाहर से रोज आने–जाने वाले अध्यापक–अध्यापिकाएं अपनी सुविधा के अनुसार ही विद्यालय आते–जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से सड़क के किनारे विद्यालयों में देखी जा सकती है जहाँ अध्यापक अपना समय आने–जाने वाली बसों के अनुसार तय करते हैं। इस स्थिति में बालक–बालिका भी ऐसा ही करते हैं।

3.4.3 कुछ विद्यालयों में यह भी देखा गया कि अध्यापक–अध्यापिकाएं अपनी उपस्थिति में समझौता कर लेते हैं जैसे दोपहर से पहले कौन विद्यालय में रहेगा तथा दोपहर बाद कौन रहेगा। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों से पूर्ण समय विद्यालयों में ठहरने की आशा नहीं की जा सकती है।

3.4.4 ग्रामीण विद्यालयों में नियमित निरीक्षण होना चाहिए जिसका पूर्ण अभाव होता है, विद्यालयों में कार्य को देखने के लिए किसी भी अधिकारी के पास समय नहीं होता है, अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों के रिकार्ड से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि सत्र अवधि में एक बार भी किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। इस स्थिति में अध्यापकों पर कोई नैतिक दवाब नहीं होता है। अध्यापक स्वयं भी छोटे–छोटे कार्य का बहाना कर पंचायत समिति मुख्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। कोई वेतन लेने जा रहे है, कोई डाक देने जा रहे है, कोई अपनी सामयिक वेतन वृद्धि लगवाने के लिए ही पंचायत समिति कार्यालय के चक्कर लगाते है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर असर होना स्वाभाविक है।

3.4.5 अध्ययन अवधि में यह गहनता से अनुभव किया गया कि अध्यापक के पद का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विद्यालय जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद अध्यापक पढ़ाये, नहीं पढ़ाये कोई नहीं देखता है। नामांकित बालक–बालिकाएं नियमित आते हैं, नहीं आते हैं अध्यापक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अन्य कार्यालयों में एक क्लर्क का भी उत्तरदायित्व है कि वह सम्बन्धित पत्रावली पर कोई कार्यवाही करेगा अन्यथा उसके उत्तरदायित्व है उसे इसका जवाब देना होगा, परन्तु कार्यरत अध्यापक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय लिया जाना चाहिये जिससे की अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि उस ही स्थिति में स्वीकार होगी जब नामांकित छात्र–छात्राएं वर्ष पर्यन्त विद्यालय में उपस्थित होंगे अथवा उससे सम्बन्धित ग्राम के 6–14 वर्ष के सभी बालक–बालिका विद्यालय में नामांकित होंगे परन्तु आज यह स्थिति नहीं है। प्रत्येक माह वेतन लेने के साथ ही वह ग्रामीण बालकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व किस सीमा तक निर्वाह करते है, कोई नहीं देखता है और इसका दुष्परिणाम भुगतना पढ़ता है छात्र–छात्राओं को अध्यापक की लापरवाही से विद्यालय छोड़ देते हैं तथा बाद में समय निकलने के बाद पछताते हैं।

3.4.6 विद्यालयों में छात्र–छात्राएं नियमित नहीं जाते हैं इसके कारणों की जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया इसके निम्न कारण उभर कर सामने आये हैं :–

(i) अभिभावकों की शिक्षा के प्रति रूची नहीं होना।

(ii) बालक–बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति रूची का अभाव।

(iii) अभिभावक का बच्चों को गृह कार्य में लगा देना।

(iv) पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पठन–पाठन सामग्री की कमी।

(v) अभिभावकों के साथ निरन्तर सम्पर्क की कमी।

(vi) विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं जैसे–पानी, मूत्रालय, कक्षा–कक्षों की कमी।

(vii) विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की कमी।

3.4.7 अतः विद्यालयों में नामांकन के बाद छात्र–छात्राएं नियमित आकर कुछ नया सीखे तभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर तक अपनी शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति आ सकेगी। इसके लिए शासकीय एवं ग्राम स्तर पर अत्याधिक कार्य की आवश्यकता होगी।

3.5 चयनित विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों की स्थिति :

3.5.1 अध्ययन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के 60 तथा शहरी क्षेत्र के 12 विद्यालयों में 289 अध्यापक कार्यरत पाये गये। इनमें से 241 अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में तथा 48 शहरी क्षेत्र में कार्यरत थे। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के 60 विद्यालयों में 241 अध्यापक को देखते हुये औसतन प्रति विद्यालय 4 अध्यापक कार्यरत है, यह औसत शहरी क्षेत्र में लगभग 5 का आता है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम है।

3.5.2 अध्ययन अवधि में यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि कितने कार्यरत अध्यापक स्थानीय है तथा कितने प्रतिदिन आते–जाते हैं। प्राप्त जानकारी निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–13

चयनित विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	विद्यालय संख्या	कार्यरत कुल अध्यापक संख्या	स्थानीय	बाहर के
1.	अलवर	10	44	31	13
2.	भीलवाड़ा	10	37	25	12

3.	उदयपुर	10	49	8	41
4.	जोधपुर	10	39	22	17
5.	सवाईमाधोपुर	10	28	15	13
6.	बीकानेर	16	44	28	16
	योग	**60**	**241**	**129**	**112**

3.5.3 उक्त सारणी के अवलोकन से यह स्थिति सामने आती है कि 53.5 प्रतिशत अध्यापक स्थानीय है तथा 46.5 प्रतिशत अध्यापक बाहर के है जो प्रतिदिन आते–जाते हैं। ग्राम में पदस्थापित बाहर के अध्यापकों में से एक भी अध्यापक अपने मुख्यालय पर नहीं रहते हैं सभी प्रतिदिन आते–जाते हैं।

3.5.4 ग्राम के रहने वाले अध्यापक भी स्थानीय राजनीति में व्यस्त रहते हैं, जन–प्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहकर ही वह ग्राम में रह पाते है। अतः अपना अधिकांश समय स्थानीय राजनीति की सक्रिय भूमिका में निभाते हैं।

3.5.5 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार सबसे कम स्थानीय अध्यापक उदयपुर में हैं क्योंकि जनजाति क्षेत्र में पढ़े–लिखे नवयुवक नहीं होते हैं। अतः बाहरी अध्यापक ही कार्यरत रहते है। बाहर से आने–वाले अध्यापक–अध्यापिकाओं का अधिकांश समय आने–जाने में ही व्यतीत हो जाता है। शहरी क्षेत्र के 12 विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापक–अध्यापिकाएं शहरी क्षेत्र में ही निवास करती है।

3.6 कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता :

3.6.1 अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापक वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त पाये गये। सर्वेक्षण्ण में पाया गया कि केवल 10 प्रतिशत अध्यापक ही सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी थे, 90 प्रतिशत अध्यापक बी.ए., बी.एससी., एम.ए., बी.एड. तथा एम.एड. स्तर के शिक्षा प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में 90 प्रतिशत अध्यापक वांछित योग्यता से अधिक योग्यता वाले हैं। इस स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि एक एम.ए. एम.एड. अध्यापक अथवा बी.एससी. योग्यताधारक अध्यापक प्रथम कक्षा से कक्षा पंचम् तक पढ़ाने में क्या रूची दिखा पायेगा। प्राथमिक स्तर पर इन अध्यापकों को कोई रूची नहीं होती है अथवा यह कहा जा सकता है कि उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं प्राप्त होता है, अतः वह केवल वेतन प्राप्ति के लिए ही नौकरी करते हैं। इस स्थिति में शिक्षा विभाग को पदस्थापन करने से पूर्व अध्यापकों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता को ध्यान में रखकर ही पदस्थापन करना चाहिये।

3.7 विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं :

3.7.1 विद्यालयों में शिक्षा प्राप्ति के लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनमें पर्याप्त कक्षा कक्ष, पर्याप्त शिक्षक, पेयजल, मूत्रालय आदि प्रमुख है।

आधारभूत सुविधाओं के अभाव में विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण नहीं बन पाता है, परिणाम स्वरूप छात्र–छात्राएं घर चाले जाते हैं तथा वापस नहीं आते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार अब भी 3945 विद्यालयों में केवल एक ही कक्षा कक्ष है, 26806 विद्यालयों में केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है, 40121 विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग पेशाबघर नहीं है। केवल 21400 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से पेशाब घर है तथा केवल 10701 में बिजली की सुविधा उपलब्ध है।

3.7.2 अध्ययन हेतु चयनित जिलों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। चयनित जिलों की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :–

सारणी संख्या–14

चयनित जिलों के विद्यालयों में आधारभूत सुविधा

क्र. सं.	जिला	कुल विद्यालय	एक कक्षा कक्ष के विद्यालय	एक शिक्षक वाले स्कूल	कामन पेशाब घर वाले विद्यालय	विद्युत सम्बन्ध वाले विद्यालय
1.	अलवर	4948	78	631	1989	436
2.	भीलवाड़ा	3997	183	1213	1272	520
3.	बीकानेर	2592	32	723	1392	297
4.	जोधपुर	4515	375	1659	1482	424
5.	सवाईमाधोपुर	1932	47	475	841	143
6.	उदयपुर	5062	465	1793	1279	437

3.7.3 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार उदयपुर जिले में 1793 विद्यालयों (35.4 प्रतिशत) केवल एक अध्यापक संचालित कर रहे हैं, यह अध्यापक विद्यालय की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। जिस दिन अध्यापक अवकाश पर रहते हैं विद्यालय का भी अवकाश रहता है वैसे ही एक सत्र में लगभग 150 दिवस ही विद्यालयों का संचालन होता है, इस पर अध्यापक अवकाश पर अथवा अन्य कार्य में व्यस्त होने पर विद्यालय का अवकाश ही रहता है, इस परिस्थिति में किस स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी कल्पना की जा सकती है। यह स्थिति कम अथवा अधिक सभी जिलों में विद्यमान है।

3.7.4 विद्यालय में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति भी दयनीय ही है। गर्मी के मौसम में बिना पंखों के पढ़ाई करना कैसा होगा, सोचा जा सकता है। अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं है, अतः विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता है।

3.7.5 अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों में भी आधारभूत सुविधाओं की कमी देखी गई। सर्वप्रथम नामांकित बालक–बालिकाओं के लिए बैठने की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–15

विद्यालय भवन की उपलब्धता

क्र. सं.	चयनित जिला	विद्यालय संख्या	विद्यालय भवन पर्याप्त	
			हाँ	नहीं
1.	अलवर	10	7	3
2.	भीलवाड़ा	10	8	2
3.	उदयपुर	10	6	4
4.	जोधपुर	10	7	3
5.	सवाईमाधोपुर	10	6	4
6.	बीकानेर	10	5	5
	योग	**60**	**32**	**21**
7.	शहरी क्षेत्र	12	4	8

3.7.6 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार अध्ययन हेतु चयनित 60 विद्यालयों में से 21 (35 प्रतिशत) विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं है। शहरी क्षेत्र में यह स्थिति अधिक खराब है। चयनित विद्यालयों में से 66.6 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है।

3.7.7 अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों में भवन सम्बन्धी निम्न कमियाँ देखी गई है :–

(i) विद्यालय भवन हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं है।

(ii) प्राईवेट व्यक्ति के मोटर गैराज में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

(iii) कक्षा कक्ष अपर्याप्त है।

(iv) चारदीवारी नहीं है अतः अतिक्रमण हो रहे हैं।

(v) सार्वजनिक मन्दिर में पेड़ के नीचे ही कक्षायें लगायी जाती है।

(vi) शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(vii) खेल के मैदान नहीं है।

(viii) दोपहर के भोजन के लिए रसोई घर की व्यवस्था नहीं है।

(ix) विद्यालय में बिजली नहीं है।

(x) फर्श टूटी हुई है।

(xi) विद्यालय की छत टपकती है।

(xii) कक्षा कक्षों में श्याम–पट्ट उपलब्ध नहीं है।

3.7.8 विद्यालय भवनों में उक्त स्थिति में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है अतः शीघ्र ही इस दिशा में कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.8 विद्यालयों में खेल–कूद की सामग्री एवं मैदान की उपलब्धता :

3.8.1 अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों में अधिकांश विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए खेलकूद के मैदान एवं उपयुक्त सामग्री का अभाव पाया गया। इस स्थिति का विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :–

सारणी संख्या–16

विद्यालयों में खेलकूद की व्यवस्था

क्र. सं.	चयनित जिला	विद्यालय संख्या *	खेल के मैदान की उपलब्धता	
			हाँ	नहीं
1.	अलवर	12	2	10
2.	भीलवाड़ा	12	5	7
3.	उदयपुर	12	5	7
4.	जोधपुर	12	9	3
5.	सवाईमाधोपुर	12	6	6
6.	बीकानेर	12	3	9
	योग	**72**	**30**	**42**

*** शहरी क्षेत्र के विद्यालय भी सम्मिलित है।**

3.8.2 उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के 60 विद्यालयों में से 35 (58.3 प्रतिशत) विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए खेलकूद की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। शहरी क्षेत्र के 12 विद्यालयों में से 7 में खेलकूद कोई भी व्यवस्था नहीं है।

3.8.3 विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाने में खेलकूद का अपना महत्व है। केवल शैक्षिक गतिविधियाँ ही पर्याप्त नहीं है, बालक–बालिकाओं के शारीरक एवं मानसिक विकास के लिए खेलों का महत्व भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। अध्ययन के सर्वेक्षण के समय इस सम्बन्ध में जा सुझाव प्राप्त हुये हैं उनका विवरण निम्नानुसार है :–

(i) विद्यालयों के खेलकूद मैदानों पर अतिक्रमण हो गये है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जावें।

(ii) खेलों के लिए उपयुक्त अध्यापक की व्यवस्था की जावें।

(iii) राज्य सरकार खेल के मैदान के लिए भूमि आवंटित करें।

(iv) खेल के मैदानों के रख–रखाव एवं चारदीवारी के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जावें।

(v) खेल सामग्री के क्रय हेतु बजट उपलब्ध करवाया जावें।

3.8.4 अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों से यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि खेल की सुविधा नहीं होने पर क्या विद्यालयों में अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में बताया गया कि केवल कुछ जन्मदिन अथवा स्वाधीनता दिवस एवं गणतन्त्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा कोई कार्यक्रम अथवा प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती है।

3.9 ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :

3.9.1 सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से मूर्तरूप प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग सभी ग्रामों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों के सदस्यों की सहायता से ग्राम के बालक–बालिकाओं के नामांकन में मदद भी प्राप्त हुई, परन्तु समय–समय पर इन ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को महत्व दिया जाना कम होता गया, परिणाम स्वरूप यह समितियाँ लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सर्वेक्षण

के समय पाया गया कि इन समिति की भूमिका विद्यालयों के विकास में अपनी भूमिका वास्तविक रूप से नहीं निभा पा रही है। ग्राम के बालक–बालिकाओं के नामांकन के बाद इन समितियों की विद्यालय विकास में क्या भूमिका रहनी चाहिये इसकी जानकारी इन समिति के सदस्यों को नहीं है। इस स्थिति में ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य कोई सकारात्मक कदम उठाने में असमर्थ है। यह भी देखा गया कि एक बार समिति के अध्यक्ष अथवा पदाधिकारी बनने के बाद वह व्यक्ति विद्यालयों को अपनी सम्पत्ति समझने लगे है। अध्यापक भी उन्हें प्रसन्न रखने में ही अपना भला समझने लगे हैं।

3.10 सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन :

3.10.1 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का परीक्षण भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा भी सम्पन्न किया गया। इस प्रतिवेदन के अवलोकन से सर्व शिक्षा अभियान की स्थिति स्पष्ट होती है। इस प्रतिवेदन के मुख्य अंश निम्न प्रकार से है :–

1. प्रस्तावना :

सर्व शिक्षा अभियान (सशिअ) भारत सरकार का देश में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु विशेष ढ़ंग से चलाया जाने वाला व्यापक एवं समन्वित फ्लैगशिप कार्यक्रम है। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी से 2000–01 में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय पद्धति के सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से उपयोगी एवं सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मात्र प्रारम्भिक शिक्षा को प्रोन्नत एवं सुदृढ़ करना है। सशिअ का कार्यढ़ांचा राष्ट्रीय नीति के मानदण्ड़ों पर आधारित ''स्थानीय आवश्यकता आधारित योजना'' को बढ़ावा देता है जिससे बच्चे एवं अभिभावक विद्यालय पद्धति को लाभदायक समझें तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से जुड़ाव महसूस करें।

यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा पर विशेष जोर देते हुये 2001–02 से क्रियान्वित किया गया। सर्व शिक्ष अभियान एक वृहद् योजना है जिसमें सभी मुख्य राजकीय शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (2001–02 में बन्द), शिक्षा कर्मी बोर्ड (शिकबो) (जून,2005 तक विस्तारित), लोक जुम्बिश परियोजना (जून,2004 में बन्द), जन शाला (दिसम्बर,2004 में बन्द), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) चरण–प्रथम (दिसम्बर,2005 तक विस्तारित), डीपीईपी चरण–द्वितीय (चालू है) तथा शिक्षा गारन्टी योजना (ईजीएस)।

2. लेखापरीक्षा व्याप्ति :

राजधानी जिला अर्थात् जयपुर सहित सात जिलों (अलवर, बाँसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर) को फील्ड अध्ययन के लिये योजनाबद्ध किया गया। लेखापरीक्षा का उद्देश्य सशिअ कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं समग्र निष्पादन के साथ–साथ निधियों की उपलब्धता एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धियों के स्तर को जाँचना रहा। लेखापरीक्षा में आवृत अवधि (2001–02 से 2004–05) के दौरान हुए व्यय को आधार बनाते हुए संचयी नमूनाकरण के अनुसार जिलों का चयन किया गया।

प्रत्येक जिले में दो ग्रामीण एवं एक शहरी खण्ड़ तथा प्रत्येक खण्ड़ में एक ईजीएस केन्द्र, दो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले दो उच्च विद्यालय तथा उक्त विद्यालयों की विविप्रस/पंचायत का चयन अप्रेल से अगस्त,2005 की लेखापरीक्षा के दौरान किया गया था।

3. लेखापरीक्षा उद्देश्य :

लेखापरीक्षा यह जाँचने तथा सुनिश्चित किये जाने हेतु की गई थी कि क्या :–

- पर्याप्त निधियाँ समय पर नियमानुसार जारी कर उपलब्ध करवायी गयी थी,
- प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक करना, सामाजिक एवं लैंगिक अन्तर को पाटना, नामांकन तथा ठहराव वाले कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि हो गयी थी,
- कार्यक्रम क्रियान्वयन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए पठन, पाठन सामग्री सहित पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध करवायी गयी थी,
- कार्यक्रम में उपलब्ध अनुश्रवण प्रणाली उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

4. लेखापरीक्षा प्रणाली :

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् एवं जिला परियोजना समन्वयक (जिपस) की विस्तृत कार्यप्रणाली एवं संगठनात्मक ढ़ाँचे को जानने के लिए सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के साथ एक प्रविष्टि बैठक का आयोजन किया गया था। सशिअ के ढ़ाचाकार्य, नियमावलियों, वित्तीय स्वीकृतियों, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, व्यय विवरणों, कार्यक्रम दस्तावेजों, रोकड़ वाउचर्स, विशेष फोकस ग्रुपों, मूल्यांकन प्रतिवेदनों, प्रगति प्रतिवेदनों, राप्राशिप एवं जिपस द्वारा संधारित विभिन्न सूचनाओं/विवरणों, परिपत्रों एवं दिशा–निर्देशों का अध्ययन किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान राज्य परियोजना निदेशक/नियन्त्रक वित्त एवं परियोजना के अन्य अधिकारियों के साथ–समय पर बैठकें आयोजित की गयी थी।

इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरों इन्टरनेशनल (आईएमआरबी) की एक विशिष्ट इकाई सोशल एण्ड रूरल इंस्टीट्यूट (एसआरआई) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लाभार्थियों एवं उनके अभिभावकों के विचारों से सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव का सर्वे करने हेतु अनुबन्धित किया गया था। एसआरआई ने दिसम्बर,2005 से फरवरी,2006 के दौरान 400 प्राथमिक नमूना इकाइयों (ग्रामीण 240, शहरी 160) का सर्वे किया।

17,171 योग्य परिवारों (6–14 आयु समूह का कम से कम एक बच्चे वाला) में से 7,963 परिवारों से एक विस्तृत संरचित साक्षात्कार किया गया था। एसआरआई के अनुबन्ध की सूचना सरकार को फरवरी,2006 में तथा उनके निष्कर्षों की सूचना बाद में सितम्बर,2006 में दी गयी थी। विषयवस्तु पर सर्वे के निष्कर्षों का समावेश समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर किया गया है।

5. वित्तीय प्रबन्धन :

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2001–02 (नवीं योजना) के दौरान 85 : 15 तथा 2002–03 से 2006–07 (दसवीं योजना) के दौरा 75 : 25 के अनुपात में बांटना था।

वार्षिक कार्य योजना (वाकायो) के अनुसार 2001–05 के दौरान निधियों की आवश्यकता, राप्राशिप को उपलब्ध करायी गई निधियाँ तथा उनके समक्ष किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित वाकायो			द्वारा हस्तान्तरित निधियाँ			किया गया व्यय
	भारत सरकार	राजस्थान सरकार	योग	भारत सरकार	राजस्थान सरकार	योग	
2001–02	6.41 35.88	1.13 11.97	7.54 47.85 (ईजीएस)	3.20* 35.88@	0.57$ 20.48	3.77 56.36	– 20.48
2002–03	130.76	43.58	174.34	64.07	13.16	77.23	36.84
2003–04	337.74	112.57	450.31	156.27	63.80	220.07	222.97
2004–05	480.67	160.22	640.89	235.00	108.72	343.72	395.90
योग	**991.46**	**329.47**	**1320.93**	**494.42**	**206.73**	**701.15**	**676.19#**

* भारत सरकार का भाग राज्य सरकार को 2001–02 में स्थानान्तरित किया गया था लेकिन राजस्थान सरकार ने राशि 2002–03 में 31 मार्च,2003 को दी।

@ भारत सरकार द्वारा 2002–03 में स्थानान्तरित।

$ राशि 2001–02 में स्वीकृत की गयी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे 2002–03 में 31 मार्च,2003 को स्थानान्तरित किया।

2004–05 के अन्त में अव्ययित राशि रुपये 24.96 करोड़ थी।

<u>नोट</u>– जबकि 2001–02 के दौरान भारत सरकार का भाग राप्राशिप को राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया था वहीं अगले वर्षों में भारत सरकार द्वारा सीधे राप्राशिप को उपलब्ध कराया गया था।

नमूना जाँच किये गये सात जिलों में 2002–05 के दौरान रुपये 220.50 करोड़ प्राप्त हुये थे जिनमें से मार्च,2005 तक रुपये 5.67 करोड़ अनुपयोजित पड़े हुए थे। इन जिलों के 21 खण्ड़ों एवं 21 खण्ड़ों की 115 विविप्रस को क्रमशः रुपये 12.63 करोड़ तथा रुपये 4.51 करोड़ दिये गये थे जिनमें से मार्च,2005 तक क्रमशः रुपये 2.42 करोड़ एवं रुपये 0.50 करोड़ अनुपयोजित पड़े हुए थे।

(i) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विलम्ब :

केन्द्रीय एवं राज्य निधियाँ वाकायो के अनुरूप 2001 से 2005 के दौरान उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी, क्योंकि निधियों की स्वीकृति 44.3 एवं 53.6 प्रतिशत के बीच रही। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश की पहली किश्त के रूप में रुपये 3.20 करोड़ 19 जिलों के लिए 27 मार्च,2002 को दिये गये थे। चूंकि राशि वर्ष के बिल्कुल अन्त में प्राप्त हुयी थी, राज्य सरकार ने इसे 2002–03 में उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार से मांगी। यद्यपि अनुमति सितम्बर 2002 में प्राप्त हो गयी थी, राशि राज्य के अंश रुपये 0.57 करोड़ के साथ राप्राशिप को 13 माह पश्चात् उपलब्ध करायी गयी थी (मार्च,2003), परिणामस्वरूप राप्राशिप द्वारा 2001–02 के दौरान कोई गतिविधि प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब थे।

(ii) राज्य सरकार द्वारा अनुदान के मैचिंग अंश के अन्तरण में विलम्ब :

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कार्य संरचना के अनुसार राज्य सरकार को अपना भाग केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर राप्राशिप को अन्तरित करना था। तथापि यह पाया गया कि राज्य सरकार अपना मैचिंग अंश देय तिथियों को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी वहन करने में विफल रही। विलम्ब की अवधि 2002–05 के दौरान 4 से 332 दिन रही।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि शुरू के वर्षों में विलम्ब हुआ था।

(iii) सशिअ (ईजीएस) निधियों को अधिक भारित करना :

शिक्षा गारन्टी योजना (ईजीएस) के दिशा–निर्देशों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं (आरजीएसजेपी) के पैरा शिक्षकों को रुपये 1,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान किया जाना परिकल्पित है। जिसके अनुसार 24,816 (24191 ग्रामीण एवं 625 शहरी) आरजीएसजेपी के पैरा शिक्षकों को रुपये 29.78 करोड़ का भुगतान सशिअ निधियों से किये जाने थे। तथापि, यह पाया गया कि 2003–04 के

दौरान सशिअ निधियों से रुपये 46.89 करोड़ (केन्द्रीय अंशः रुपये 35.17 करोड़ तथा राज्यांशः रुपये 11.72 करोड़), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओज) को, मार्च 2003 से फरवरी 2004 की अवधि के लिए आरजीएसजेपी के पैरा शिक्षकों को मानदेय भुगतान हेतु उनकी माँग पर जिसकी गणना रुपये 1200 से रुपये 1800 प्रति शिक्षक प्रतिमाह की विभिन्न दरों के आधार पर की गयी थी, अन्तरित किये गये एवं उनको भुगतान किये गये। इस प्रकार सशिअ निधियों को अनियमित रूप से रुपये 17.11 करोड़ अधिक भारित किये गये थे क्योंकि यह अतिरिक्त देनदारी राज्य सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से वहन की जानी थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) की आरजीएसजेपी के पैरा शिक्षकों को ईजीएस से रुपये 1,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना था एवं आगे और बताया कि 2,317 आरजीएसजेपी को वर्ष 2003–04 में प्राथमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। इसलिए उनको नियमित अध्यापक ही मानते हुए रुपये 1600 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया गया एवं वर्ष 2003–04 में रुपये 11.72 करोड़ का आधिक्य मैचिंग हिस्सा राज्य सरकार से प्राप्त किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि क्रमोन्नत प्राथमिक विद्यालयों के पैरा शिक्षकों को मानदेय रुपये 1,000 से अधिक का भुगतान ईजीएस से नहीं किया जाना था और राज्य मैचिंग अनुदान के किसी भी आधिक्य का समायोजन नहीं किया गया था।

(iv) अग्रिमों का समायोजन न होना/अनियमित होना :

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जिलों को एवं जिलों द्वारा खण्ड़ों को जारी निधियाँ प्रारम्भ में अग्रिम के रूप में वर्गीकृत की जानी थी, जो सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर राप्राशिप/जिपस के पास व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने पर समायोजित की जानी थी। नमूना जाँच किये गये जिलों में यह पाया गया कि अप्रेल,2002 से मार्च,2004 के दौरान दिये गये रुपये 32.55 करोड़ के अग्रिम मार्च,2005 में सम्बन्धित जिपस के पास सम्बन्धित अधिकारी से व्यय विवरण/यूसी की प्राप्ति के अभाव में समायोजन हेतु लम्बित थे। व्यय विवरण/यूसी के अभाव में निधियों के यथार्थ उपयोग को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दो जिलों में 2002–04 के दौरान क्रियान्वयन संस्थाओं को विभिन्न गतिविधियों के लिये दिये गये रुपये 1.45 करोड़ के अग्रिम को सम्बन्धित जिपस द्वारा व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

(v) **आन्तरिक नियन्त्रणों का अभाव :**

जैसाकि परिकल्पित है, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से पूर्णतः अथवा अंशतः अर्जित परिसम्पत्तियों की निर्धारित प्रपत्र में एक परिसम्पत्तियों की पंजिका राप्राशिप एवं अन्य सभी स्तरों पर संधारित की जानी थी। यह पाया गया कि राप्राशिप एवं नमूना जाँच किए गए जिलों में जिपस द्वारा परिसम्पत्ति पंजिकायें संधारित नहीं की जा रही थी। परिणामतः राप्राशिप द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा सका तथा कार्यक्रम की निधियों से अर्जित/सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव एवं सुरक्षा को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रापण नियमावली में परिकल्पित होने के बावजूद भी सशिअ में आन्तरिक लेखापरीक्षा विद्यमान नहीं थी।

(vi) कार्यकारी विभाग ने अपने टिप्पण में उल्लेख किया है कि लेखा सम्बन्धी एवं अन्य कार्यक्रमों को उल्लेख भी किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवेदन विभिन्न लेखा प्रतिवेदनों की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। इस संदर्भ में मूल्यांकन प्रतिवेदन की सम्पूर्णता के लिये भौतिक प्रगति के साथ वित्तीय प्रगति एवं लेखों पर विश्लेषण सहित समीक्षात्मक विवरण दिया जाना होता है। इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रतिवेदन में यथास्थान लेखा व वित्तीय स्थिति पर सविवेचनात्मक संक्षिप्त विवरण अंकित किया गया है।

6. **कार्यक्रम का क्रियान्वयन :**

(i) **बच्चों के नामांकन के अविश्वसनीय आँकड़े :**

सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य उद्देश्य 2003 तक शिक्षा की सार्वभौमिकता प्राप्त करना था। लक्ष्य को 2005 तक प्राप्त करने हेतु संशोधित (अगस्त,2005) किया गया था। परिवार सर्वे पर आधारित चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (सीटीएस) के नामांकन योग्य, स्वनिष्कासित तथा कभी नामांकित नहीं बच्चों की मार्च,2005 तक संख्या निम्न प्रकार थी :–

श्रेणी	प्रत्येक श्रेणी में राज्य के कुल बच्चों की संख्या	प्रतिशतता सहित नामांकन उपलब्धि
कक्षा 1 में नामांकन योग्य (6 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर)	11,55,042	11,02,803 (95.48%)

विद्यालय से बाहर* (स्वनिष्कासित)	2,54,909	1,58,580 (62.21%)
6–14 आयु समूह के कभी नामांकित नहीं**	1,53,762	98,306 (63.93%)

** नामांकन के पश्चात् विद्यालय छोड़ चुके बच्चे।*

*** छः वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे जो विद्यालय में कभी नामांकित नहीं हुये।*

राज्य सरकार के उपरोक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने का उद्देश्य निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रथम उद्देश्य के प्राप्त न होने का विपरीत प्रभाव, बाद के उद्देश्य 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूर्ण कर रहे सभी बच्चों पर भी पड़ेगा।

चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत आँकड़ों की विश्वसनीयता के आकलन हेतु चयनित जिलों के 144 गाँवों के 148 विद्यालयों के स्वनिष्कासित/कभी नामांकित नहीं बच्चों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई–अगस्त,2005 में सर्वे किया गया था। निम्न भिन्नताएँ पायी गयी थी :–

- एक सौ अड़तालीस विद्यालयों द्वारा संधारित सीटीएस पंजिकाओं के अनुसार 6–14 आयु समूह में स्वनिष्कासित एवं कभी नामांकित नहीं बच्चों की संख्या जुलाई 2005 के अन्त में 274 थी जबकि लेखापरीक्षा द्वारा किये गये अध्ययन में उसी माह में ऐसे बच्चों की संख्या 876 पायी गयी।
- नमूना जाँच किये गये तीन जिला (बाड़मेर, बूंदी और उदयपुर) के 58 विद्यालयों में सीटीएस के अनुसार 2004–05 में नामांकन योग्य बच्चों की संख्या 1516 थी। इनमें से शिक्षा सत्र 2005–06 के लिए नामांकन के सम्पूर्ण प्रदर्शित प्रतिशतता (95.48) के समक्ष केवल 71.31 प्रतिशत (1081 बच्चों) को ही नामांकित किया गया था।
- बूंदी एवं उदयपुर जिलों के क्रमशः 4 एवं 12 विद्यालयों में सीटीएस के अन्तर्गत नामांकन योग्य बच्चों के आँकड़ों की संख्या से क्रमशः 42 एवं 140 बच्चे अधिक नामांकित पाये गये थे।

सोशल एण्ड रूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये सर्वे ने अनुमानित किया कि 8,46,731 बच्चे (3,05,333 बालक और 5,41,398 बालिकायें) अनामांकित थे जो 6–14 आयु समूह के नामांकन योग्य बच्चों का 6.2 प्रतिशत (4.2 प्रतिशत बालक और 8.6 प्रतिशत बालिकायें) था। सामाजिक श्रेणी में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी में नामांकन योग्य बच्चों में से क्रमशः 8.9, 8.3, 5.9 एवं 2.4 प्रतिशत अनामांकित थे।

आगे, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जिला, ब्लॉक, संकुल एवं नोडल केन्द्रों पर सीटीएस आंकड़ों की प्रभावशीलता एवं विश्वसनीयता की नमूना जाँच नहीं की गई थी जैसाकि राप्राशिप के दिशा–निर्देशों में परिकल्पित था। नमूना जाँच किये गये एक जिले में यह भी पाया गया कि अलवर शहर में सीटीएस हेतु परिवार सर्वे केवल 35 स्लम बस्तियों में ही किया गया था जो अपर्याप्त व्याप्ति इंगित करता था। फील्ड अध्ययन/नमूना जाँच के दौरान पाये गये ऐसे बड़े अन्तर, नमूना जाँच का अभाव तथा अपर्याप्त व्याप्ति इंगित करते थे कि सीटीएस आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि अन्तर विभिन्न स्त्रोतों से आँकड़ों के संग्रहण एवं सीटीएस में परिवार सर्वेक्षण आयोजित नहीं करने के कारण थे।

अनामांकित एवं स्वनिष्कासित बच्चों को वैकल्पिक विद्यालय के द्वारा लाभान्वित करना था जैसे शिक्षा मित्र केन्द्रों, आवासीय एवं गैर–आवासीय ब्रिज कोर्स तथा विद्यालय से बाहर के बच्चों को नियमित विद्यालयों की मुख्यधारा में सम्मिलित करने पर ध्यान रखते हुये विद्यालय शिविरों को वापसी। नमूना जाँच किये गये तीन जिलों में पाया गया कि 2003–05 के दौरान विभिन्न शिविरों में नामांकित 39,659 बच्चों में से 37,063 बच्चे शिविर समाप्ति के बाद मार्च,2005 के अन्त में मुख्यधारा में नामांकित नहीं किये गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

जिला	विभिन्न शिविरों में नामांकित बच्चों की संख्या	मुख्यधारा गतिविधि के पूर्ण होने के पश्चात् मुख्यधारा में नामांकित	मुख्यधारा गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं
अलवर	90	45	45
बाड़मेर	16710	2034	14676
उदयपुर	22859	517	22342
योग	**39659**	**2596**	**37063**

जब यह ध्यान में लाया गया (अक्टूबर,2005) राज्य सरकार ने बताया (मार्च,2006) कि बच्चों के 100 प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास किये जा रहे थे।

(ii) बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की अपर्याप्तता :

सर्व शिक्षा अभियान में यह निर्धारित था कि प्रत्येक बस्ती में जिसके एक किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई विद्यालय नहीं था, नये प्राथमिक विद्यालय अथवा ईजीएस केन्द्र खोले जायेंगे। तथापि यह पाया गया कि उपरोक्त मानदण्ड़ों के होते हुये

भी राज्य में मार्च,2005 के अन्त तक 2961 बस्तियों में कोई प्राथमिक विद्यालय अथवा ईजीएस केन्द्र नहीं था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार नेसूचित किया (दिसम्बर,2006) कि प्रत्येक आबादी विद्यालय की सुविधा से 2006–07 की योजना में आवृत की जावेगी।

(iii) **सामुदायिक गतिशीलता की कमी :**

सामुदायिक गतिशीलता एवं सामाजिक स्वामित्व के लिए विविप्रस का गठन किया गया था। फील्ड अध्ययन में नमूना जाँच किये गये सात जिलों की 12,200 में से 1,222 विविप्रस का सर्वे किया गया था। मूल्यांकन के परिणामों से प्रकट हुआ कि 680 विविप्रस के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, 1042 विविप्रस को निर्धारित क्रियाकलापों के लिये निधियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी थी तथा 819 विविप्रस में सामुदायिक भागीदारी का हिस्सा भी प्राप्त नहीं किया गया था। पाँच सौ इकतालीस विविप्रस के मामले में जिला परियोजना अधिकारियों के साथ संवाद नहीं था तथा संदर्भ व्यक्तियों ने 342 विविप्रस का दौरा नहीं किया। 180 विविप्रस में मासिक बैठकें आयोजित नहीं की जा रही थी।

सोशल एण्ड रूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे से भी प्रकट हुआ कि राजस्थान में केवल 49.2 प्रतिशत विद्यालयों के सामुदायिक सदस्यों को ही सशिअ के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया था।

इससे निर्दिष्ट हुआ कि कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू संचालन तथा विविप्रस की प्रभावशीलता के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं/क्रियाकलापों की कमी थी।

सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि योजना 2006–07 के अनुसार सभी विविप्रस के सदस्यों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु योजना की जा रही थी।

(iv) **शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या :**

सर्व शिक्षा अभियान दिशा–निर्देशों के मानदण्ड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक–छात्र अनुपात 1:40 संधारित किया जाना था। नमूना जाँच किये गये छः जिलों में 2001–05 के दौरान यह अनुपात 1:43 (अलवर) से 1:106 (उदयपुर) था तथा निम्न विवरणानुसार अनुपात विपरीत था :–

जिला	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
	शिक्षक–छात्र अनुपात			
अलवर	1:43	1:45	1:47	1:47
बाड़मेर	1:53	1:59	1:66	1:67
बूंदी	1:52	1:57	1:57	1:63
जयपुर	1:69	1:73	1:72	1:73
जोधपुर	–	–	1:49	1:45
उदयपुर	1:62	1:106	1:82	1:79

आगे, नमूना जाँच किये गये जिलों में पाया गया कि 2003–05 के दौरान विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन स्वीकृत संख्या बल के अनुसार नहीं किया गया था, निम्न विवरण के अनुसार कमी 6 से 22 प्रतिशत के मध्य रही :–

जिले का नाम	2003–04				2004–05			
	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कमी	कमी का प्रतिशतता	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कमी	कमी का प्रतिशतता
अलवर	9639	8352	1287	13	10040	8172	1868	19
बांसवाड़ा	6481	5489	992	15	6481	5489	992	15
बाड़मेर	6744	5480	1264	19	7302	5698	1607	22
बूंदी	3509	3081	428	12	3601	3187	414	11
जयपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12704	10474	2230	18
जोधपुर	7229	6541	688	10	7902	6535	1367	17
उदयपुर	9477	8251	1226	13	9573	9038	535	6

सर्व शिक्षा अभियान दिशा–निर्देशों के मानदण्ड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक का पदस्थापन किया जाना था। यह पाया गया कि 1031 प्राथमिक विद्यालयों (अलवर 185, बांसवाड़ा 64, जयपुर 193, जोधपुर 307 तथा उदयपुर 282) में तथा I से VIII कक्षा तक के 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जोधपुर 7 और उदयपुर 29) में केवल एक शिक्षक ही था।

सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि मार्च–अप्रेल,2005 के दौरान 35,529 नये शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् छात्र–शिक्षक अनुपात की स्थिति कुछ हद तक कम हुई है।

(v) विद्यालयों में मूल सुविधाओं की कमी :

विद्यालयों में अच्छे नामांकन एवं बच्चों के ठहराव में मूल सुविधाएं/आधारभूत ढ़ांचे महत्वपूर्ण रोज अदा करते हैं। विद्यालयों में सुविधाओं की कमी बच्चों के नामांकन पर विपरीत प्रभाव डालती है, विशेष रूप से बालिकाओं के प्रकरण में। सात चयनित जिलों में यह दृष्टिगत हुआ कि सशिअ के अन्तर्गत आवृत 15,111 विद्यालयों में से

सुविधाएं जैसे भवन (690 विद्यालय), सामान्य शौचालय (3345 विद्यालय), बालिका शौचालय (8715 विद्यालय), पीने के पानी (3941 विद्यालय), अतिरिक्त कक्षा कक्ष (3832 विद्यालय), खेल का मैदान (5071 विद्यालय), चारदीवारी (5547 विद्यालय) तथा विद्युत (9313 विद्यालय) जैसी सुविधायें कई विद्यालयों में मार्च,2005 तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी जैसाकि उनकी संख्या प्रत्येक सुविधा के सामने अंकित है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर,2006) कि सभी सुविधाएँ योजना 2007–08 तक उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(vi) अनुरक्षण एवं मरम्मद अनुदान की स्वीकृति में अनियमितायें :

जैसा कि सशिअ के दिशा–निर्देशों में परिकल्पित है कि विद्यालयों के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मत अनुदान, विविप्रस द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विद्यालयों को दी जानी थी जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं। सशिअ की वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति की नियमावली में वर्णित है कि तीन कक्षा कक्षों तक के विद्यालय अधिकतम रुपये 4,000 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने योग्य होंगे तथा तीन से अधिक कक्षा कक्षों वाले विद्यालय, अधिकतम रुपये 7,500 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष इस शर्त के साथ प्राप्त कर सकेंगे कि एक जिले में औसत अनुदान प्रति विद्यालय रुपये 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नमूना जाँच किये गये जिलों में 2002–05 के दौरान जिपस ने रुपये 13.36 करोड़ के अनुरक्षण एवं मरम्मत अनुदान को विविप्रस के द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये बिना ही विद्यालयों को स्वीकृत कर दिया। अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच में प्रकट हुआ कि नमूना जाँच किये गये चार जिलों में 2004–05 के दौरान दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत तीन कक्षा कक्षों के होते हुए भी 3,461 (बाड़मेर 1,131 विद्यालय, बूंदी 592 विद्यालय, जयपुर 622 विद्यालय और उदयपुर 1,116 विद्यालय) विद्यालयों को रुपये 4,000 के स्थान पर रुपये 5,000 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से अनुदान स्वीकृत कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप रुपये 1,000 प्रति विद्यालय की दर से रुपये 34.61 लाख की अनुदान राशि अधिक स्वीकृत हो गयी।

आगे, यह भी पाया गया कि जिपस, बूंदी ने अनुरक्षण एवं मरम्मत अनुदान से रुपये 30.95 लाख के झूला एवं फिसल पट्टियाँ खरीद ली जो अनियमित था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि कार्यकारी समिति के अनुमोदन और सशिअ मैन्यूअल के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रतिमानों को 2006–07 के दौरान लागू किया गया था।

(vii) **पठन पाठन उपस्कर/सामग्री (टीएलई/टीएलएम) के अपर्याप्त प्रावधान करना :**

सर्व शिक्षा अभियान दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रमोन्नत प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नति के समय पठन पाठन उपस्कर (टीएलई) हेतु रुपये 10,000 स्वीकृत किये जाने थे। जिपस, अलवर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2004–05 के दौरान 163 में से 97 क्रमोन्नत प्राथमिक विद्यालयों को टीएलई की राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी जिससे ये विद्यालय टीएलई के लाभ से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि विवप्रस के गठन नहीं होने के कारण टीएलई क्रमोन्नत प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

जैसा कि ईजीएस के दिशा–निर्देशों में अंकित किया गया है आरजीएसजेपी में नामांकित बच्चों के लिये रुपये 100 प्रति बालक प्रति वर्ष की दर से टीएलएम उपलब्ध कराया जाना था। नमूना जाँच किये गये चार जिलों में दृष्टिगत् हुआ कि वर्ष 2003–04 (तीन जिलों–बूंदी, जयपुर और उदयपुर) में 1,63,232 बच्चों में से 56,461 बच्चों तथा वर्ष 2004–05 (चार जिलों–अलवर, बूंदी, जयपुर और उदयपुर) में 1,91,719 में से 1,79,887 बच्चों को टीएलएम स्वीकृत नहीं किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि वर्ष 2003–04 के दौरान लोक जुम्बिश परियोजना के तहत कुछ गतिविधियाँ संचालित की गई थी और इसलिए सशिअ के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की गई थी।

जिला परियोजना समन्वयक, जोधपुर में यद्यपि रुपये 4.80 लाख एवं रुपये 5.95 लाख का बजट प्रावधान वर्ष 2003–04 में क्रमशः 3,000 बालिकाओं एवं 8,500 अजा/अजजा बालकों को टीएलएम वितरण हेतु रखा गया था, सामग्री क्रय कर वितरित नहीं किये जाने से ये बच्चे टीएलएम के लाभ से वंचित रहे।

नमूना जाँच किये गये तीन जिलों (बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर) में सशिअ दिशा–निर्देशों के अनुसार रुपये 500 प्रति शिक्षक प्रति वर्ष की दर से टीएलएम राशि उपलब्ध करवायी जानी थी। तथापि, 2003–04 में जोधपुर जिले में 1,135 शिक्षकों तथा 2004–05 में तीन जिलों (बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर) के 2,346 शिक्षकों को निधियाँ उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी।

(viii) **अशक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कम उपलब्धियाँ :**

सर्व शिक्षा अभियान मानकों के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को अशक्तता के प्रकार, श्रेणी एवं अवस्था को अनपेक्षित रखते हुए अनुकूल वातावरण में

शिक्षा उपलब्ध करवाना था। शून्य अस्वीकृति नीति अपनायी जानी थी जिससे कि कोई बच्चा शिक्षा प्रणाली से वंचित न रहे।

सम्बन्धित अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में क्रमशः चिन्हित् किये गये 52,959 एवं 40,583 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समक्ष केवल 45,690 एवं 31,700 अशक्त बच्चों को ही नामांकित किया गया था। आगे, यह भी पाया गया कि चिन्हित् विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या इनकी वास्तविक संख्या, जो सामान्य रूप से राज्य के 6–14 आयु समूह के चिन्हित् बच्चों का दो से तीन प्रतिशत होती है, से काफी कम थी। प्रमुख शिक्षा सचिव ने जिला

कलक्टरों को अपने संदेश (मई,2005) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सही सूचना एकत्र करने हेतु निर्देशित करते हुए भी यह अंकित किया था कि चिन्हित् विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या 6–14 आयु समूह के चिन्हित् बच्चों में से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सम्भावित जनसंख्या से काफी कम थी।

मार्च,2005 के अंत तक चिन्हित् किये गये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी नामांकित नहीं किया जा सका था तथा चिन्हित् किये गये अशक्त बच्चों में से 21.89 प्रतिशत विद्यालय से विरत रहे। आगे, नामांकित बच्चों में से 5.6 प्रतिशत को ही सहायक सामग्री एवं उपकरण वितरित किये गये थे। इस प्रकार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामलें में शून्य अस्वीकृति नीति को अपनाने का सशिअ का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि वर्ष 2005–06 में 1,84,000 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गई और जरूरतमन्द विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता और उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे थे।

(ix) कार्यकारी विभाग ने अपने टिप्पण में उल्लेख किया है कि ''विद्यालय भवन, भूमि उपलब्ध नहीं होना, अपर्याप्त कक्षा कक्ष, चारदीवारी का अभाव, शौचालय व खेल मैदान का नहीं होना आदि कमियाँ अवगत करायी गयी है। निश्चित रूप से उपरोक्त कार्यक्रमों में कुछ कमियाँ पाई जा सकती है, परन्तु कमियाँ चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम में 0–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश एवं अनामांकित/ड्राप आऊट एवं नव प्रवेशी बालकों का प्रवेश होता है।'' इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वर्णित तथ्य चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए है फिर भी वर्णित कमियों के निराकरण से 0–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश एवं अनामांकित/ड्राप आऊट एवं नव प्रवेशी बालकों में वृद्धि हो सकेगी एतदर्थ कारगर कार्यवाही अपेक्षित है।

7. अनुश्रवण :

जैसाकि विनिर्दिष्ट है कार्यक्रम के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण प्रणाली परिकल्पित थी यथा स्थानीय सामुदायिक स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर।

राज्य में स्थानीय सामुदायिक स्तर पर सशिअ की प्रगति के अनुश्रवण के लिए दो प्रकार की सूचना प्रणाली विकसित की जानी थी। एक थी, शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) जिसमें नामांकन सकल नामांकन अनुपात, अनामांकन अनुपात, ठहराव दर, स्वनिष्कासन दर आदि के आंकड़े संग्रहीत किया जाना तथा दूसरी थी परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) जिसमें भौतिक साथ ही वित्तीय दोनों प्रकार की प्रगति का अनुश्रवण किया जाना था।

तथापि, यह दृष्टिगत् हुआ कि ईएमआईएस हेतु उपरोक्त सभी निहित सूचनाओं वाले सॉफ्टवेयर का विकास नहीं किया गया था। इसलिए नामांकन, विद्यालय से बाहर बच्चे, अपहुँच वाली बस्तियों में पहुँचना आदि जैसी मूल निष्कर्ष सूचकों की उपलब्धि की प्रगति तुरन्त उपलब्ध नहीं थी।

राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए अप्रेल,2004 तक कोई प्रणाली प्रचलित नहीं थी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की सतत् समीक्षा हेतु मानदण्ड़ एवं उत्तरदायित्वता का निर्णय पहली बार मई,2004 में लिया गया था तथा सशिअ के क्रियान्वयन के सभी स्तरों परिपत्र जारी किया गया था। मानदण्ड़ों के अनुसार जिला स्तर पर नामित जिला प्रभारी अधिकारी को प्रत्येक गतिविधि की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला मुख्यालय तथा एक खण्ड़, दो संकुल एवं फील्ड स्तर पर कुछ विद्यालयों का एक माह में दो दिवस का दौरा कर सात दिवस के अन्दर अपना प्रतिवेदन राज्य स्तर पर अनुश्रवण प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना था। अनुश्रवण प्रकोष्ठ को मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने थे। प्रभारी जिला अधिकारी के ऐसे कोई प्रतिवेदन अनुश्रवण प्रकोष्ठ में प्राप्त नहीं हुये। उपनिदेशक (योजना), राप्राशिप ने सूचित किया (जुलाई,2005) कि प्रभारी जिला अधिकारी के दौरों के प्रतिवेदन मांगे जा रहे थे। इन प्रतिवेदनों के अभाव में अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य विफल रहा।

राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के कार्य को अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता से वृहद् मानते हुए भारत सरकार ने दो संस्थाओं यथा विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु नामित किया था। अन्य संस्थाओं सहित इन संस्थाओं के तथा भारत सरकार के साथ दीर्घकालिक पत्राचार के बावजूद किसी संस्था को यह कार्य सुपुर्द नहीं किया जा सका। भारत सरकार ने अनुश्रवण संस्थाओं को कार्य सौंपने में राज्य सरकार द्वारा असामान्य विलम्ब पर अपना असन्तोष प्रकट किया (मई,2004)

तथा आशंका प्रकट की कि और अधिक विलम्ब सशिअ के अनुश्रवण कार्य को गम्भीर संकट में डालेगा।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संख्यात्मक तथा गुणात्मक पहलुओं के निर्धारण हेतु भारत सरकार तथा निधियाँ उपलब्ध कराने वाली संस्था के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुये दो पर्यवेक्षण शिष्टमंडलों द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य का दौरा करना था। जुलाई,2005 के अंत तक किसी पर्यवेक्षण शिष्टमंडल द्वारा राज्य का दौरा नहीं किया गया था।

जैसाकि सशिअ के दिशा–निर्देशों में परिकल्पित था, राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि राजकॉम्प एक सॉफ्टवेयर विकसित करने में व्यस्त है और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई), अजमेर को द्वितीय अनुश्रवण अभिकरण के रूप में नामांकित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन अभी तक भी प्रतीक्षित है।

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यालयों से अनामांकित/ड्राप आऊट व नव प्रवेशी बालकों की सूचना का मुख्य आधार चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम प्रपत्र को ही मानना अवगत कराया है जबकि कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय अनुश्रवण प्रणाली परिकल्पित की गयी थी।

8. आँकड़ों का सत्यापन तथा अनुसंधान अध्ययन नहीं किया जाना :

सर्व शिक्षा अभियान के ढ़ांचा कार्य में परिकल्पित ठहराव, उपब्धता, लैंगिक/सामाजिक समता, आदि के सम्बन्ध में बेस लाईन निर्धारण पर अध्ययन का प्रारम्भ करना, जो उपचारात्मक प्रकृति का होना चाहिए तथा आँकड़ें प्रस्तुतीकरण के साथ योजना प्रक्रिया में उपयोग किया जावे। इसके अलावा, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के आधारभूत आँकड़ों का योजना प्रक्रिया में उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

आगे, राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान के दिशा–निर्देशों में शिक्षा के लिए डीआईएसई के आँकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु इन आँकड़ों की पाँच प्रतिशत नमूना जाँच कराना परिकल्पित है। यह पाया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2002 के लिये डीआईएसई आँकड़ों को भारत सरकार द्वारा विश्वसनीय

नहीं माना गया था, बाद के डीआईएसई आँकड़ों की नमूना जाँच का कार्य मार्च,2005 के अन्त तक नहीं किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर,2006) कि वर्ष 2006–07 में 15 अनुसंधान अध्ययनों के संचालन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

9. **निष्कर्ष :**

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रावधान की गयी निधियाँ अनुरूप राशि उपलब्ध नहीं करवाने से कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। राज्य सरकार द्वारा मैचिंगहिस्सा अन्तरित करने में विलम्ब देखा गया।

प्रथम वर्ष में कोई गतिविधि प्रारम्भ नहीं की जा सकी तथा दूसरे वर्ष में भी प्रगति धीमी थी। मार्च,2005 तक सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था तथा सीटीएस के आँकड़े अविश्वसनीय थे। विद्यालयों में 2003–05 के दौरान शिक्षकों का पदस्थापन स्वीकृत संख्या के अनुसार नहीं किया गया था। ब्रिज कोर्स/शिविर समाप्ति के पश्चात् कभी नामांकित नहीं तथा स्वनिष्कासित बच्चों का भी मुख्यधारा में नामांकन नहीं कराया गया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में राज्य सरकार शून्य अस्वीकृति नीति अपनाने में विफल रही।

राज्य स्तर पर कोई अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली प्रचलित नहीं थी क्योंकि मार्च,2004 तक सभी विहित सूचनाओं वाला सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया था। पर्यवेक्षण शिष्टमंडलों द्वारा जुलाई,2005 तक राजस्थान का दौरा नहीं किया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया था।

10. **अनुशंसाएं :**

- प्रत्येक स्तर पर क्रियान्वयन में विलम्ब से बचा जाना चाहिये तथा क्रियान्वयन प्रभावित न हो, इसको सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को अनुदान का मैचिंग हिस्सा समय पर जारी करना चाहिये।

- नियमित एवं समय पर समायोजन को महत्व देने के साथ जिपस को जारी अग्रिमों को पटरी पर लाने के लिये एक प्रणाली प्रारम्भ की जानी चाहिये।

- चाईल्ड ट्रैकिंग प्रणाली के अन्तर्गत आँकड़े एक स्वतन्त्र संस्था द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिये।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में शून्य अस्वीकृति नीति अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

- कार्यक्रम के मानदण्ड़ों का सख्ती से पालन के साथ–साथ पठन–पाठन सामग्री व सुविधाओं की उचित उपयुक्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चितता हेतु अनुश्रवण पहलू में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

3.11 चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का भौतिक सत्यापन :

3.11.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों की स्थिति का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अलवर :

(i) चाईल्ड ट्रैकिंग अभिग की वस्तुस्थिति का आकलन :

चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का अभियान मार्च,2004 से अलवर जिले में प्रारम्भ हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के चार–चार रजिर्स्टस् जिन्हें ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर कहते हैं, का चयनित पंचायत समिति तिजारा व कोटकासिम के चयनित ग्रामों के विद्यालयों में चैक किया गया। चैक करने पर यह पाया गया कि ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों को देखने पर यह मालूम नहीं होता है कि चयनित पंचायत समिति में चाईल्ड ट्रैकिंग सर्वे कब, किस दिनांक को सम्पन्न हुआ व उसके बाद अद्यायत किसने, कितने दिनांक बाद किया। किसी कर्मचारी व निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं पाये गये। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर नं.1 में 0–5 वर्ष के बच्चे अंकित होते हैं तथा रजिस्टर नं.2 में 6–11 वर्ष के अध्ययनरत बच्चों का विवरण अंकित होता है तथा सर्वे दिनांक से गणना करके ही रजिस्टर नं.1 का बच्चा 6 वर्ष का होने पर रजिस्टर नं.2 में ट्रान्सफर होता है। रजिस्टर नं.2 का बच्चा जो 12 वर्ष का सर्वे के समय था प्राइमरी पार करने के बाद आगे मिडिल स्कूल में बाहर अन्यत्र पढ़ने जाता है या स्कूल छोडता है तो उसकी एन्ट्री भी रजिस्टर नं.2 में अपडेट की जानी चाहिये अर्थात् रजिस्टर तो यद्यपि बनाए हुए थे लेकिन उनका संधारण सही ढ़ंग से नहीं हो रहा था। अतः सुझाव है कि ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों की प्रविष्टियाँ सही ढ़ंग से संधारित की जावें एवं सर्वे की प्रविष्टियाँ प्रत्येक 6 माह में अद्यतन की जावें ताकि नामांकन की सही सूचनाएं तैयार की जा सके।

(ii) बालक–बालिकाओं की नामांकन के बाद उनकी विद्यालय में भौतिक स्थिति की समीक्षा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में नामांकन करने के पश्चात् सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नामांकित बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे है तथा कितने प्रतिशत विद्यार्थी बिल्कुल नहीं आ रहे है इसकी विद्यालय प्रभारी द्वारा सूची बनाकर इसकी निगरानी की जावें तथा अनियमित आने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को नियमित स्कूल आने का फायदा भी समझाया जावें तथा नियमित आने को कहा जावें क्योंकि नामांकन का लाभ जब ही मिल पावेगा जबकि नामांकित बालक–बालिका विद्यालय में नियमित शिक्षा ग्रहण कर अपने शिक्षा का स्तर भी उन्नत कर पावेगा व अच्छे संस्कार भी ग्रहण कर पावेगा। अनियमित आने वाला छात्र पढ़ाई में पिछड़ जाता है उसके आगे का पाठ भी समझ नहीं आ पावेगा वह फिर पढ़ाई से कतराकर स्कूल में आना छोड़ देगा या हताश होकर कक्षा में बैठेगा।

अनियमित स्कूल आने वाले बालक–बालिका से पूछा जावें कि वह अनियमित क्यों आता है, अभिभावकों ने उसे घरेलू या कृषि कार्य के लिए रोक लिया है या आर्थिक स्थिति की विवशता में मजदूरी करने चला गया या सामाजिक/धार्मिक कारण, त्यौहार, शादी–ब्याह में चला गया या जानबूझकर स्वयं पढ़ाई के होमवर्क न करने के भय से स्कूल नहीं आ रहा है। अभिभावकों से अध्यापक द्वारा सम्पर्क कर उक्त अनियमित स्कूल भिजवाने के बच्चे की परिस्थितियों में सुधार करने हेतु कहा जावें। नामांकन की सार्थकता जबकि है जबकि बच्चे स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित हो तथा भौतिक रूप से विद्यालय में बैठकर कक्षाओं में नियमित पढ़ाई कर अपना शिक्षा का स्तर बनाने में सहयोग करें। वैसे सर्वे अवधि में यह पाया गया कि प्रथम व द्वितीय कक्षा के छोटे बच्चे मध्यान्ह् पोषाहार खाने के बाद 50 प्रतिशत बच्चे अपनी कक्षाएं छोड़कर घर चाले जाते हैं तथा बड़े बच्चों के 25–30 प्रतिशत बच्चें कक्षा चतुर्थ एवं पंचम् के नियमित स्कूल न आकर मजदूरी पर चले जाते हैं या घरेलू/कृषि कार्य में मदद करने घर रूक जाते हैं स्कूल नियमित नहीं आते। सर्वे की अवधि में 12 चयनित विद्यालयों की बच्चों की भौतिक स्थिति की जाँच की गई जो निम्न प्रकार रही है :–

क्र. सं.	चयनित विद्यालय का नाम	बालक/ बालिकाओं की नामांकित संख्या	उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज संख्या	गिनने पर कक्षा में भौतिक रूप से उपस्थित संख्या	नामांकित से भौतिक स्थिति का प्रतिशत
	पंचायत समिति–तिजारा				
1.	रा.प्रा.विद्यालय,लपाला (छात्र)	409	206	137	33.49
2.	रा.प्रा.विद्यालय,गोठड़ा नं.1 (छात्रा)	175	83	81	46.28
3.	रा.प्रा.विद्यालय,झिवाणा (छात्र)	388	218	137	35.30
4.	राजीव गांधी पाठशाला, हसनगौरी	230	217	198	86.08
5.	रा.प्रा.विद्यालय,छटाल (छात्रा)	228	–	114	50.00
	पंचायत समिति–कोटकासिम				
6.	रा.प्रा.विद्यालय,कोटकासिम (छात्र)	256	188	127	49.60
7.	रा.प्रा.विद्यालय,लूढ़ीबावल (छात्रा)	95	91	70	73.68

8.	राजीव गांधी पाठशाला, ठाठाका	61	47	46	75.40
9.	रा.प्रा.विद्यालय,हरसौली (छात्रा)	258	168	123	47.67
10.	रा.प्रा.विद्यालय,हरसौली (छात्र)	216	132	110	50.92
11.	रा.प्रा.विद्यालय,शिकारीवास (छात्र)	104	60	60	57.69
12.	रा.प्रा.विद्यालय,मीणापाड़ी (छात्रा)	68	30	30	44.11

चयनित 12 विद्यालयों में से 8 में अर्थात् 66.66 प्रतिशत विद्यालयों में भौतिक रूप से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33.49 प्रतिशत से 50.92 प्रतिशत रही जिससे पता चलता है कि ठहराव दर बहुत कम है इसमें सुधार अपेक्षित है इस कार्य कार्य को प्राथमिकता दी जावे। प्राइमरी स्कूलों में ग्रामों में शत–प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही है एवं दोपहर का गरम भोजन दिया जा रहा है उसके पश्चात् भी इतनी कम उपस्थिति एक विचारणीय प्रश्न है।

(iii) विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर :

नामांकन एवं छात्र–छात्राओं के ठहराव के बाद महत्वपूर्ण बिन्दु आता है चयनित ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का शैक्षणिक स्तर कैसा है ? अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं का अंकज्ञान व भाषाज्ञान कैसा है यह जानने के लिए बालक/बालिकाओं से पुस्तक पढ़ाकर देखी गई तथा बोर्ड पर अंकगणित के सवाल कराके देखे गये। कक्षा–प्रथम, द्वितीय से बारहरखड़ी व 1 से 15 की गिनती पूछी गई कक्षा तृतीय, चतुर्थ व पंचम् से कठिन व सरल शब्दों की हिन्दी की पुस्तक पढ़ाकर शब्दज्ञान व मात्राओं, वर्तनी का ज्ञान देखा गया। कुछ बोर्ड पर सरल व कठिन शब्द लिखवाये गये, जोड़–बाकी के सवाल भी कराके देखा गया। सर्वे का परिणाम यह सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत विद्यालयों में (चयनित विद्यालय) कक्षा प्रथम व द्वितीय का सामान्य से नीचे शैक्षिक स्तर व कक्षा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् में सामान्य स्तर पाया गया। शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने हेतु गृह कार्य नियमित रूप से दिया जावे। हिन्दी की मात्राओं की अशुद्धियाँ ठीक की जावें। गणित में कक्षा चतुर्थ व पंचम् को हासिल के सवाल जोड़–बाकी बोर्ड पर करवाकर त्रुटि समझायी जावे ताकि बच्चों का हिन्दी ज्ञान व अंकगणित ज्ञान में वृद्धि हो सके। शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाकर पढ़ाया जावें। कक्षा प्रथम व द्वितीय को अपेक्षित न रखकर उनके लिए अंकज्ञान व भाषा ज्ञान के संर्वधन हेतु उचित ध्यान दिया जावें।

(iv) चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम में अनुश्रवण (Foll-up) की कमी :

चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम में यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में CRCF, SDI, BEO, BRCF आदि अधिकारीगण/कर्मचारी प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं पर उन्होंने चाईल्ड ट्रैकिंग स्कीम के अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षण पंजिका में नामांकन, ठहराव व शैक्षणिक स्तर पर कोई टिप्पण नहीं की है और न ही कोई निरीक्षण रिपार्ट

अनुपालना हेतु विद्यालय में भेजी है। अतः भविष्य में फोलो–अप कार्यवाही को गति दी जावे। जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण पर जावें इस कार्य को भी देखे व टिप्पण दें व निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को भिजवाएं। फोलो–अप कार्यवाही पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इससे विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ को मार्गदर्शन मिलता है तथा कार्य की क्वालिटी में भी सुधार होता है। यद्यपि जिले में कार्यक्रम के समन्वय, रिव्यू व मोनिटरिंग हेतु District Resourec Group, Block Education Committee व CECF Group गठित किये हुए हैं लेकिन इसमें ठहराव व शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये हैं। ठहराव व शिक्षा स्तर उन्नयन के बिन्दुओं पर इन ग्रुप की मीटिंग में ध्यान में लाये जावें।

2. **उदयपुर :**

चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का मूल्यांकन अध्ययन के क्षेत्र कार्य अवधि में कुल 12 विद्यालयों में क्षेत्र कार्य सम्पादित किया गया। क्षेत्र कार्य के दोरान जो मुख्य बिन्दु उभरकर आये उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) लगभग सभी स्थानों पर शत–प्रतिशत नामांकन हो गया है। अब कोई भी बालक/बालिका नामांकन से वंचित नहीं है।

(ii) अधिकतर स्थानों पर बालक/बालिका नामांकन के पश्चात् नियमित नहीं आते हैं, बिल्कुल न आने वाले बालक/बालिका तो कुछ ही है किन्तु अनियमित विद्यालय आने वाले कई है। इसका मुख्य कारण इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना है जिसके कारण घर के बड़े सदस्य मजदूरी पर या खेती में कार्य करने चाले जाते है तथा पीछे से यह बालक/बालिका अपने छोटे भाई–बहनों का ध्यान रखती है तथा अपने घर में मौजूद पशुओं का भी ध्यान रखते हैं। कुछ बालक–बालिका पशुओं का चराना तथा स्वयं मजदूरी का भी कार्य करते हैं जिसके कारण विद्यालय में नियमित नहीं आते हैं। इनके माता–पिता को भी समिति के माध्यक से बार–बार सम्पर्क किया जाता है, किन्तु इसका भी इन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। क्षेत्र कार्य के दौरान यह बात भी उभरकर सामने आई है कि जब विद्यालय का समय प्रातः 7 से 12 होता है तो यह बच्चे नियमित हो जाते है तथा जब समय 10.30 से 4.30 का होता है तो यह बच्चे अनियमित हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण प्रातः 9–10 बजे घर के बड़े सदस्यों का काम पर चले जाना है फिर ये बच्चे ही घर में छोटे बच्चों को सम्भालते हैं।

(iii) क्षेत्र कार्य अवधि में यह बात भी उभर कर आयी कि ये बच्चे 5–6 घन्टे पूरे स्कूल में पढ़ने में रूची नहीं लेते हैं। इनको पढ़ाई के साथ–साथ एक–दो घन्टे कुछ और कार्यों में लगाया जाये तो उनकी रूची बनी रहेगी। इसके लिए विद्यालयों के नजदीक की वन भूमि इन्हीं विद्यालयों को सौंपी जाये तो उनका विकास इन बच्चों के मार्फत कराया जावें तथा उससे जो आर्थिक लाभ हो वह कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की मदद में काम आवें ताकि उनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में आवें।

(iv) क्षेत्र कार्य के दौरान ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों के ही मिले हैं। इनमें से कई बच्चों ने अपने आस–पास के शहरों, कस्बों को भी नहीं देखा है। पढ़ाई के साथ ही इन्हें वर्ष में एक–दो बार भ्रमण कराये जायें तो इनकी रूची विद्यालय के प्रति बढ़ेगी।

(v) क्षेत्र कार्य के दौरान देखा गया कि विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियाँ तो बनी हुई है किन्तु समिति के सभी सदस्य बैठकों में पूरी रूची नहीं लेते हैं तथा ज्यादातर बैठकों में आधे सदस्यों की उपस्थिति रहती है।

(vi) क्षेत्र कार्य के दौरान पाया गया कि कई विद्यालयों में पाँच कक्षा होने के बावजूद एक ही अध्यापक या अध्यापिका है जो सभी कक्षाओं को ढ़ंग से नहीं पढ़ा पाती है जिससे बच्चों का ज्ञान स्तर बहुत कम बढ़ पाता है अतः प्रत्येक 5वीं तक के विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक अवश्य हो।

(vii) क्षेत्र कार्य के दौरान पाया गया कि विद्यालयों में अन्य रिकार्ड तो उपलब्ध है तथा व्यवस्थित है किन्तु चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम अभियान के रिकार्ड या तो उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो व्यवस्थित नहीं है। चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का रिकार्ड व्यवस्थित करने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए।

3. **जोधपुर :**

(i) क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्यापकों/अध्यापिकाओं ने परोक्ष रूप से अवगत कराया कि नवम्बर,2001 में हुआ शिक्षा दर्पण का सर्वे ही गलत हुआ है और इसके

आधार पर चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही है, वह बिल्कुल गलत है। अतःसर्वे पुनः कराया जावे और पूर्व तैयारी के साथ मानिटरिंग निरन्तर रखी जावे तो आगामी 6 से 10 वर्षों में शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं की संख्या को शून्य की ओर वास्तव में अग्रसर किया जा सकता है।

(ii) जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों की स्थिति को सुधारने पर भी नामांकन बढ़ सकेगा।

(iii) विद्यालयों में मिड–डे–मील के साथ–साथ विभिन्न इन्डोर/आउटडोर खेल सामग्री को उपलब्ध कराया जावे तो भी अधिकाधिक बालक/बालिकाओं का नामांकन हो सकेगा।

(iv) सभी विद्यालयों में बिजली व पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जावें तो नामांकन बढ़ सकेगा।

(v) छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए प्रति एक कक्षा में 40 से अधिक विद्यार्थी होने पर नया सेक्शन खोलना चाहिए, साथ ही इसके अनुकूल शिक्षक संख्या बढ़ाये जाने की ओर ध्यान देना भी परमावश्यक है।

4. **बीकानेर :**

चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में दो पंचायत समितियों बीकानेर एवं डूंगरगढ़ का चयन किया गया। पंचायत समिति, बीकानेर के पाँच स्कूलों का अवलोकन तथा डूंगरगढ़ पंचायत समिति के पाँच स्कूलों का अवलोकन किया गया तथा स्कूलों में बनी शिक्षा समिति के सदस्यों से योजना के बारे में विचार–विमर्श किया। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के अनामांकित बालक–बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिये वर्ष 2002 तथा 2004 में सर्वे कार्य करवाया गया था। उन सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ दिया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को रोजगार के लिये पलायन करने के कारण बालक–बालिकाओं को विद्यालय छोड़ना पड़ता था उसमें कुछ कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रोजगार कृषि व पशुपालन होने के कारण अभिभावक बालक–बालिकाओं से जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष है, से पशु चराने या छोटे बच्चों को खिलाने (देखभाल) करने के लिए घर पर रख लेते हैं इस कारण बच्चे स्कूल में नियमित नहीं रह पाते हैं। अभिभावकों का अशिक्षित होना तथा शिक्षा के प्रति जागयक नहीं होना भी बालक–बालिकाओं को स्कूल ठहराव व नियमित स्कूल जाने में बाधक है।

प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण बालक–बालिकाओं में शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, एक ही अध्यापक 5–5 कक्षाओं के बालकों को पढ़ाता है वह बालकों को शान्त बैठाने का ही प्रयन्त करता रहता है।

अध्यापकों का स्थानान्तरण होने के कारण स्कूल रिकार्ड भी सुव्यवस्थित नहीं रहता है। विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी होने के कारण शैक्षणिक ज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा है।

5. सवाईमाधोपुर :

सवाईमाधोपुर जिले की पाँचों पंचायत समितियों में सी.टी.एस. सर्वे के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के 119352 बालक तथा 94785 बालिका निवास कर रहे हैं जिनमें से सर्वे दिनांक तक डी.पी.ई.पी. के जिला कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 118340 बालक तथा 92762 बालिकाओं का नामांकन कराया जा चुका है। अध्ययन संरचना के अनुसार अधिकतम नामांकन वाली पंचायत समिति सवाईमाधोपुर एवं सबसे कम नामांकन की बावनबास पंचायत समिति का चयन विस्तृत अध्ययन के लिए किया जाकर उक्त दोनों पंचायत समितियों में चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के अन्तर्गत अधिकतम् नामांकन वाली 5–5 प्राथमिक शालाओं का चयन कर सर्वे कार्य किया गया है। जिला प्रलेख अनुसूची में वे सूचनाऐं संकलित की गई है जो सी.टी.एस. सर्वे के तहत जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर प्राप्त की गई है।

जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर शैक्षणिक सुविधा विस्तार के लिए शिक्षा मित्र केन्द्रों, आवासीय एवं गैर–आवासीय विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ विकलांग शिविरों का आयोजन कर नामांकन बढ़ाने का प्रयास किये गये है। इससे 6–14 वर्ष के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा नामांकित बच्चों के ठहराव में वृद्धि करने के लिए क्षेत्र में बाल मेले एवं कला जत्था आयोजन के अतिरिक्त Mother Teachers Assosiation (M.T.A.) and Parrentes Teachers Assosiation (P.T.A.) का गठन कर अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक कर रूची पैदा की जा रही है।

शिक्षा विस्तार हेतु सम्बन्धित विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए साक्षरता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर नामांकन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। समन्वय के अभाव में कार्यक्रम के संचालन एवं नामांकन कार्यक्रम का अधिक सफल बनाने में विभिन्न प्रकार की बाधाऐं आती है तथा डाटाज में विभिन्नता आती है। अतः सभी विभागों को एक छत के नीचे लाने के लिए मिनी शिक्षा संकूल स्थापित किया जाये

तथा डी.पी.ई.पी. एवं प्रारम्भिक शिक्षा एक ही जिला अधिकारी के नियन्त्रण में रखा जाये।

इन विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री एवं मिड–डे–मील की व्यवस्था से नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है किन्तु शैक्षणिक सामग्री पहुँचाने में बी.आर.सी.एफ., सी.आर.सी.एफ. को अनेक कठिनाईयाँ आती है। इसके अतिरिक्त नामांकन बढ़ाने के लिए शाला स्तर पर एस.डी. एम.सी. विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जाता है जिसमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, जन–प्रतिनिधि, सेवानिवृत अध्यापक, भामाशाह एवं दो अभिभावकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। एस.डी.एम.सी. की मासिक मीटिंगस् में भी नामांकन बढ़ाये जाने पर कार्यवाही की जाती है जिनमें ग्राम सभा, बाल मेला, कला जत्था आयोजन एवं अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बच्चों की शिक्षा का महत्व बताते हुए अनामांकित बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए कहा जाता है।

6. भीलवाड़ा :

भीलवाड़ा जिले की 11 पंचायत समितियों में सर्वे के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 225117 बालक तथा 170611 बालिकाएं कुल 395728 निवास कर रहे है जिनमें सर्वे दिनांक तक 223371 बालक एवं 170092 बालिकाएं कुल 393463 का नामांकन करवाया जा चुका है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक–बालिकाओं को अध्ययन हेतु प्रेरित करने एवं नियमित स्कूल में जाने हेतु BRCF/ CRCF के माध्यम से छात्र–अभिभावक सम्पर्क, SDMC/ PTA की बैठकों का आयोजन तथा शिविरों का आयोजन कर नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया गया। शत–प्रतिशत नामांकित कर उन्हें नियमित बनाने हेतु रिक्त पदों को भरे जाने के साथ–साथ सामुदायिक गतिशीलता की आवश्यकता है। जिले में दो पंचायत समिति भीलवाड़ा एवं सुवाना में क्षेत्रीय कार्य किया गया। चयनित पंचायत समितियों में अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिए क्षेत्र में शिक्षा मित्र, ब्रिज कोर्स, विज्ञान कौशल मेला, मुख्यमंत्री शिक्षा सम्बल महाअभियान, बाल मेले, महिला बैठकों के माध्यम से सामुदायिक गतिशीलता के कार्यों से शिक्षा के प्रति जागरूकता कर रूचि पैदा की गयी। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर उनके साथ बैठकें आयोजित कर नामांकन में वृद्धि हेतु प्रयास किये गये। सीटीएस की उपलब्धि अर्जित करने में समुदाय का पूर्ण सहयोग नहीं मिलना, बाल मजदूरी एवं घरेलू कार्य में बालक–बालिकाओं को लगाना, जन–जागृति व महिला शिक्षा में कमी, जेन्डर संवेदनशीलता का अभाव, पर्याप्त अध्यापकों की उपलब्धता का अभाव एवं परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना मुख्य कारण रहे हैं।

3.12 कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

(1) सर्वे की ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजिकाओं का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया।

ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों का संधारण सही ढ़ंग से किया जावें ताकि यह मालूम चल सके कि प्रथम सर्वे कब हुआ व अद्यतन किस दिनांक को हुआ।

(2) सी.टी.एस. सर्वे का नियमित रूप से निर्धारित समय पर अद्यतन नहीं हुआ है।

प्रत्येक 6 माह में सी.टी.एस. सर्वे का अद्यतन कर ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ सही की जानी चाहिये।

(3) नामांकन करने के पश्चात् घूमन्तु व कामकाजी बच्चों के लिए पृथक से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है।

घूमन्तु व कामकाजी बच्चों के लिए रात्रि के समय पृथक से स्कूल चलाई जानी चाहिए।

(4) मन्दबुद्धि व विकलांग बच्चों को व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा नहीं दी जा रही है।

मन्दबुद्धि व विकलांग बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जावें तथा पृथक से व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(5) ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का ठहराव बहुत कम है।

ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के ठहराव बढ़ाने हेतु अभिभावकों को शिक्षा का लाभ समझाया जावें, स्थानीय रोजगार उपलब्ध करावे, नियमित आने वाले छात्रों को प्रेरक के रूप में पैन, पेन्सिल, कापी वितरित की जावें, शिक्षा को रोचक बनाकर पढ़ाया जावें।

(6) प्राथमिक शालाओं में अनियमित विद्यालय आने–वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत अधिक है जिसके निम्न कारण बताये गये है :–

(i) अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना।

(ii) महिला अभिभावकों का अशिक्षित होना तथा बच्चों से घरेलू कार्य/कृषि कार्य में मदद लेना।

(iii) बड़े बालक–बालिकाएं परिवार के अतिरिक्त आयकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे–पत्थर तोड़ना, नमक बेचना, राखियाँ बनाना, थैलियाँ बीनना आदि।

(iv) पिछड़े समाज (समुदाय) में शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता का अभाव। करीब 20–24 प्रतिशत विद्यार्थी अनियमित आते हैं जिससे अध्यापनकार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

(v) कक्षा प्रथम एवं द्वितीय के बच्चे 6 घन्टे स्कूल बैठने में रूचि नहीं दिखाते अतः पढ़ाई के साथ खेल–कूद की व्यवस्था भी होना चाहिये।

(vi) गरीब बच्चों के पास स्लेट, कापी, पेन्सिल, पैन आदि का अभाव पाया जाता है जिससे पढ़ाई के कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है।

अनियमित आने वाले बालक/बालिकाओं की संख्या कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए :–

(i) अभिभावकों को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जावें।

(ii) बालक/बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागृति/रूचि उत्पन्न की जानी चाहिए।

(iii) गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति/आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।

(iv) पिछड़े समाज में शिक्षा के प्रति रूचिजागृत की जावें। बाल रैली निकाल कर स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से लोगों का सोच बदला जावें।

(v) पढ़ाई को रोचक बनाकर पढ़ाया जावें। कहानी, कविता, खिलौने, चार्ट, मैप के माध्यम से, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किये जावें।

(vi) नियमित स्कूल आने वाले बच्चों को प्रेरक के रूप में पैन, पेन्सिल, स्लेट, कापी वितरित की जावें।

(7) राजकीय प्राथमिक शालाओं में ग्रामीण क्षेत्र में यद्यपि ढ़ाँचागत सुविधाएं बढ़ी है लेकिन शिक्षा का स्तर (80 प्रतिशत चयनित विद्यालयों में) कक्षा प्रथम एवं द्वितीय का सामान्य से नीचे व तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् का सामान्य पाया गया है। शिक्षा का स्तर कम होने के कारण सरकारी प्राथमिक शालाओं का नामांकन भी कम हो गया है। भौतिक उपस्थिति भी प्रभावित हुई है। शिक्षा का स्तर में उन्नयन की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अभिभावक सरकारी स्कूल में न भेजकर बच्चे को प्राईवेट स्कूल में भेज रहे हैं जिसके कारण राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता की कमी होना पाया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने हेतु निम्न उपाय किये जाने चाहिये :–

(i) जो बच्चे नियमित नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों से अध्यापक सतत् सम्पर्क करें व बच्चों को स्कूल बुलावें।
(ii) नियमित रूप से गृहकार्य करावें व जाँच कर त्रुटि संशोधन करें।
(iii) अंकगणित के ज्ञान हेतु ब्लेक बोर्ड का उपयोग किया जावें।
(iv) टीचर्स के रीफेर्शरस कोर्स लगाये जावें।
(v) कमजोर बच्चों के लिए पृथक से अध्ययन कैम्प लगाये जावें।
(vi) गरीब बच्चों को पैन, पेन्सिल, कापी, स्लेट खरीदने हेतु प्रोत्साहन के रूप में रुपये 100/– प्रतिवर्ष की सामग्री दी जावें।

(vii) नियमित आने–वाले बच्चों को पुरस्कार, पारितोषिक एवं प्रमाण–पत्र आदि दिये जावें।
(viii) शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात का सन्तुलन रखा जावें।
(ix) प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षा के स्तर की मासिक जाँच की जावें।
(x) पढ़ाई को रोचक बनाकर पढ़ावे।
(xi) टी.एल.एम. का उपयोग करावें।

(8) शाला प्रबन्धन समिति (SDMC) निष्क्रय हो गई है इसे सशक्त व क्रियाशील करने की आवश्यकता है।

शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं में गठित है लेकिन इसके सदस्य न तो पूरा कोरम संधारित करते और न ही वे छात्रों के नामांकन, ठहराव, भौतिक उपस्थिति, शैक्षिक स्तर की प्रगति की समीक्षा पर ध्यान ही देते हैं। मीटिंग भी निर्धारित समय व निर्धारित मात्रा में नहीं हो पाती है। अतः इसे सशक्त करने हेतु समाज सेवा की भावना रखने वाला, समर्पित भावना से कार्य करने वाले सदस्य जो जन–मानस को बदल सके एवं सदस्यों को इसमें सम्मिलित कर सशक्त बनाया जावें तथा सदस्य शिक्षित भी हो।

(9) समुदाय विशेष में शिक्षा का पिछड़ापन भी शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। समुदाय विशेष के लोग बड़ी लड़कियों को स्कूल भेजना पसन्द नहीं करते।

समुदाय विशेष में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जावें एवं बालिकाओं को स्कूल भिजवाने हेतु वातावरण तैयार किया जावें।

(10) अभिभावकों का अशिक्षित व गरीब होना भी बच्चों की भौतिक स्थिति में बाधक है।

अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हेतु अध्यापकों से कहा जावें। गरीब अभिभावकों हेतु स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास कराये जावें।

(11) पंचायत समिति, कोटकासिम के चयनित विद्यालयों में यह भी देखने को मिला कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चे न जाकर प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं में प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। इसमें 0–5 वर्ष की आयु के बच्चों में से 3–5 वर्ष के बच्चे एल.के.जी./यू.के.जी. में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में इन बच्चों का स्कूल रजिस्टर में प्रथम कक्षा से पूर्व नाम नहीं लिखते। इन बच्चों की संख्या नामांकन में सम्मिलित नहीं हो पाती है।

(12) विद्यालय में पर्यवेक्षण की कमी रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का पर्यवेक्षण निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार नहीं किया जाता है, परिणाम स्वरूप शैक्षिक स्तर गिरता जा रहा है। कार्यरत अध्यापकों पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता है, अध्यापक अपनी इच्छानुसार विद्यालयों में आते–जाते हैं। अतः शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरूप विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिये।

3.13 **निष्कर्ष :**

3.13.1 राज्य में वर्ष 2001–02 में डीपीईपी के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। डीपीईपी केवल प्राथमिक शिक्षा स्तर तक सीमित रही है जबकि सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत इसकी सीमा उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दी गयी। डीपीईपी के माध्यम से वर्ष 2004 में चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम हेतु 0–14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों/ड्राप आऊट एवं नव–प्रवेशी बालकों की सूचना का विवरण प्रपत्रों में पंजीकृत किया जाना पाया गया। चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम में नामांकित समस्त बालक/बालिकाओं को वर्ष 2007 तक 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा एवं वर्ष 2010 तक 8

वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा पूर्ण करवाने का लक्ष्य रखा गया। नामांकन वृद्धि हेतु बालक–बालिकाओं के माता–पिता/ अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करना, प्रभात फेरिया, रेलियाँ, विद्यालयों में उत्सव आयोजन, ग्राम के जन–प्रतिनिधियों, महिलाओं एवं अन्य जागरूक व्यक्तियों की सहभागिता अभियान में सुनिश्चित की गयी। मूल्यांकन हेतु चयनित विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवायी गयी। वर्ष 2005–06 तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल छात्र–छात्राओं का 85.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 14.3 प्रतिशत नामांकन शहरी क्षेत्र में हुआ तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं में से 81.6 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं 18.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में नामांकन किया गया। चयनित विद्यालयों में प्रथम कक्षा में अध्ययन के संदर्भित तीनों वर्षों में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की तुलना में अधिक पायी गयी। प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या में दूसरे ही वर्ष कमी पायी गयी अर्थात् ठहराव संख्या में वृद्धि नहीं देखी गयी। नामांकित बालक– बालिकाओं में से नियमित विद्यालय आने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या

कम रही हैं। ठहराव एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि नहीं होने के मुख्यतः कारण सामुदायिक गतिशीलता का अभाव एवं विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की कमी के साथ चाईल्ड ट्रेकिंग प्रपत्रों का संधारण भी सही ढ़ंग से नहीं किया जाना एवं समुचित पर्यवेक्षण की कमी रही है। सीटीएस के प्रभावी संचालन हेतु समुचित प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। सांराशतः चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम से 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन किये गये हैं, परन्तु नामांकित बच्चों के ठहराव एवं नियमित उपस्थिति में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है। कार्यक्रम के सफल संचालन परिपेक्ष्य में कमियों के साथ उनके निराकरण हेतु यथोचित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

————

प्रतिवेदन कार्य में सहभागी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	पदस्थापन
1.	श्री एस.एन.गुप्ता	उपनिदेशक (दिनांक 31–7–2007 को सेवानिवृत्त)	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्री भगवान सहाय यादव	सहायक निदेशक (O)	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्री चौथमल शर्मा	अन्वेषण सहायक	मुख्यालय, जयपुर
4.	श्रीमती इन्दिरा शर्मा	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
5.	श्री कैलाशपति शर्मा	कम्पाईलर	मुख्यालय, जयपुर
6.	श्री बृजमोहन	शीघ्रलिपिक	मुख्यालय, जयपुर
7.	श्री दयाशंकर शर्मा	जिला मूल्यांकन अधिकारी	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, अलवर
8.	श्री भूपेन्द्र शर्मा	अन्वेषक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, अलवर
9.	श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल	अन्वेषण सहायक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, उदयपुर
10.	श्री ओमप्रकाश मेहता	अन्वेषक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, उदयपुर

11.	श्री मदन गोपाल गौड़	अन्वेषक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, भीलवाड़ा
12.	श्री अशोक कुमार शर्मा	अन्वेषण सहायक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, जोधपुर
13.	श्री अनिल कुमार मालोदिया	अन्वेषक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, जोधपुर
14.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	जिला मूल्यांकन अधिकारी	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
15.	श्री सूरजमल जाट	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
16.	श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता	अन्वेषक	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, कोटा
17.	श्री राधारमण गुप्ता	अन्वेषक (दिनांक 28–5–2007 को सेवानिवृत्त)	क्षेत्र मूल्यांकन कार्यालय, बीकानेर